हिन्दी मासिक पत्रिका

₹10/-

उत्तम पुकार न्यूज

RNI No. UPHIN/2023/90721 वर्ष –03 अंक–09 जुलाई, 2026

नितिन नवीन की रणनीति और 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश सरकार

पहले तकनीक में लाचार
आज हर ओर नवाचार

अपना यूपी बदल गया

2017 से पहले आईटी और प्रौद्योगिकी में दूरदर्शी सोच का अभाव

2026 में डेटा और AI हब, 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक पार्क, उत्तर प्रदेश AI मिशन की शुरुआत

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

उत्तम पुकार न्यूज

वर्ष –03 अंक–09 जुलाई, 2026

सम्पादक
अनिल सैनी

समाचार सम्पादक
संजय सिंह

विधि सलाहकार
शिवप्रसाद कुशवाहा

सलाहकार सम्पादक
के. पी. सिंह

डिजाइनर
बलजीत यादव
मो. 9795442348

RNI No. UPHIN/2023/90721

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक अनिल कुमार सैनी द्वारा स्टार प्रिन्टर्स अबरार नगर, खुर्रम नगर, लखनऊ से मुद्रित तथा शिव नगर कालोनी (मुर्गी फार्म के पास), मड़ियांव लखनऊ से प्रकाशित।

सम्पादक : अनिल कुमार सैनी

मो0 नं0 – 8840345105, 9415795867
www.uttampukarnews.com

(पी.आर. बी.एक्ट के तहत समाचारों के चयन हेतु उत्तरदायी)
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।

इस अंक में

21वीं सदी का एशियाई समीकरण बदलने की तैयारी - 04

सात साल से एक ही बिजली दर वसूलने वाला पहला राज्य बना यूपी- 06

मंदिर प्रबंधन में दलित और गैर-ब्राह्मण नेतृत्व की बढ़ती स्वीकार्यता - 12

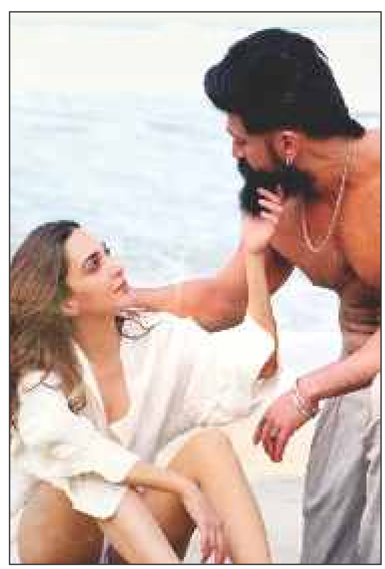

यश-कियारा की 'तबाही' में खामोश मोहब्बत का असर - 32

साझेदारी का नया अध्याय

वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अलग-अलग देशों में आपसी सहयोग के लिए जिस स्तर पर नए समीकरण बन रहे हैं, उससे साफ है कि अब पुराने ध्रुवों के विकल्प तैयार हो रहे हैं और विकसित तथा सक्षम देशों को भी अपने बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में देखें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को जिस स्तर पर सहयोग और साझेदारी की घोषणा हुई, वह मौजूदा दौर की जरूरतों के मद्देनजर एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय के दौरान मुक्त व्यापार के क्षेत्र में भारत ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए नई संभावनाएं तैयार करने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने जैसे कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। साथ ही परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ाने का खाका भी पेश किया गया। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने तथा अन्य मोर्चों पर जारी तनावों के हल के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर भी सहमति बनी।

जाहिर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी के सफर के विस्तार की जो पहल हुई है, उसका आधार अगले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर बदलते ध्रुव और उसी मुताबिक तैयार होते समीकरण हैं, जिनमें सहयोग के नए आयाम तैयार हो रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का पहले से ही साझेदारी का लंबा सफर रहा है, लेकिन ताजा समझौतों में परमाणु ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों के मामले में सहयोग के जिस मोर्चे पर ठोस समझदारी बनी है, वह आने वाले वक्त में बेहद अहम साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया भर के यूरेनियम संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है, मगर कुछ कानूनी और तकनीकी अड़चनों की वजह से भारत को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका। अब ताजा समझौते के बाद भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन का एक अहम स्रोत मिल सकेगा।

हालांकि मौजूदा दौर में विश्व जिस स्तर के तनावों से गुजर रहा है, उसमें यूरेनियम के उपयोग को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं। मगर इस मसले पर दोनों देशों ने यह साफ किया है कि सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात की अनुमति होगी और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तय सुरक्षा प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही दोनों देश खनिज गलियारे को विकसित करने के क्षेत्र में भी साझेदारी करेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी।

समुद्री सुरक्षा सहयोग के मसले पर हुए समझौते के बाद यह भी उम्मीद की जा रही है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साझा प्रयासों को नई रफ्तार मिलेगी और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बरक्स संतुलन का एक मोर्चा खड़ा किया जा सकेगा। जाहिर है, दोनों देशों के बीच संबंधों में विविधता लाने पर जोर देने के प्रयासों के तहत सहमति बनी है। मगर यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इसका मूल आधार एक-दूसरे की जरूरतों के लिए समानता पर आधारित आर्थिक सहयोग हो और यह भारतीय हितों को सुनिश्चित करने वाला हो।

भारत और सेशेल्स के बीच विकसित नए द्विपक्षीय सम्बन्धों के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

सेशेल्स हिंद महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। इसलिए भारत के साथ इसकी बढ़ती साझेदारी से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को मजबूती मिलती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

कमलेश पांडे

भारत और सेशेल्स के बीच हाल के वर्षों में विकसित हुए द्विपक्षीय संबंध केवल आर्थिक और सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके व्यापक अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सेशेल्स दौरे से इस बात को और भी बल मिला है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भारत–सेशेल्स संबंध केवल द्विपक्षीय मैत्री का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, शक्ति-संतुलन, समुद्री व्यापार, जलवायु सहयोग और भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण संबंध हैं।

यही नहीं भविष्य में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ब्लू इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से इन संबंधों का अंतरराष्ट्रीय महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसलिए आइए इसके वैश्विक मायने को समझने और पाठकों को समझाने की एक विनम्र कोशिश करते हैं- यात्राकी गाइड और यात्रा की जानकारी

पहला, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत: सेशेल्स हिंद महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। इसलिए भारत के साथ इसकी बढ़ती साझेदारी से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को मजबूती मिलती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

दूसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन: हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते निवेश और सामरिक विस्तार के बीच सेशेल्स के साथ भारत के मजबूत संबंध क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। इससे छोटे द्वीपीय देशों के पास विविध साझेदारों के साथ सहयोग के विकल्प भी बने रहते हैं।

तीसरा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग: दोनों देशों के बीच समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ा है। इससे पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सामूहिक समुद्री सुरक्षा को लाभ मिलता है।

चौथा, SAGAR नीति को मजबूती: भारत की Security and Growth

for All in the Region (SAGAR) नीति को सेशेल्स के साथ सहयोग से व्यावहारिक आधार मिलता है। यह नीति क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और साझा विकास पर बल देती है। जलऔर समुद्र विज्ञान

पांचवीं, ब्लू इकोनॉमी में सहयोग: सेशेल्स की अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों पर आधारित है। भारत समुद्री जैव संसाधन, मत्स्य पालन, समुद्री अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं।

छठा, जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी: समुद्र-स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से छोटे द्वीपीय देशों को गंभीर खतरा है। भारत और सेशेल्स इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं और जलवायु न्याय तथा टिकाऊ विकास की वकालत करते हैं।

सातवां, हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीति में महत्व:भारत का मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण सेशेल्स जैसे साझेदार देशों के सहयोग से अधिक प्रभावी बनता है। इससे क्षेत्र में स्थिरता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

आठवां, भारत की वैश्विक कूटनीति को बल: सेशेल्स जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की वैश्विक दक्षिण (Global South) में विश्वसनीय साझेदार की छवि को मजबूत करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाते हैं। ■

भारत–जापान की नई रणनीतिक साझेदारी: 21वीं सदी का एशियाई समीकरण बदलने की तैयारी

21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व केवल सैन्य शक्ति से तय नहीं होगा। तकनीकी क्षमता, आर्थिक सुरक्षा, विश्वसनीय साझेदारियाँ और नवाचार ही नई शक्ति के वास्तविक मानक होंगे। भारत और जापान ने इस दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है।

सनोज राणा

दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहाँ युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि तकनीक, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर भी लड़े जा रहे हैं। आज किसी देश की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वह कितनी उन्नत तकनीक विकसित कर सकता है, महत्वपूर्ण खनिजों तक उसकी कितनी पहुँच है और वैश्विक उत्पादन शृंखलाओं में उसकी भूमिका कितनी निर्णायक है। ऐसे समय में नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत–जापान शिखर सम्मेलन (2026) को केवल एक द्विपक्षीय बैठक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एशिया की बदलती रणनीतिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में हुए समझौते बताते हैं कि भारत और जापान अब पारंपरिक मित्र नहीं, बल्कि भविष्य की भू-राजनीति के साझेदार बन रहे हैं।

इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि UNICORN (Unified Complex Radio Antenna) परियोजना है। पहली बार भारत और जापान किसी रक्षा प्रणाली का संयुक्त विकास करेंगे। भारतीय नौसेना के लिए विकसित होने वाली स्टील्थ रेडियो एंटीना प्रणाली केवल एक सैन्य उपकरण नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि जापान अब भारत के साथ संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने को तैयार है। ध्यान रहे कि UNICORN एक विशिष्ट जापानी इंटीग्रेटेड स्टील्थ नेवल मस्त (Integrated Naval Mast) तकनीक है। कई अन्य देशों (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि) के पास भी अपने-अपने उन्नत इंटीग्रेटेड मस्त या स्टील्थ मस्त सिस्टम हैं, लेकिन वे UNICORN तकनीक नहीं हैं। UNICORN (Unified Complex Radio Antenna) तकनीक का सबसे बड़ा उद्देश्य युद्धपोतों को अधिक स्टील्थ (Stealth), अधिक सक्षम और कम दिखाई देने वाला बनाना है।लंबे समय तक जापान की रक्षा निर्यात नीति अत्यंत सीमित रही, लेकिन बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण ने टोक्यो की सोच को भी बदला है। भारत के लिए यह आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आर्थिक दृष्टि से जापान द्वारा अगले दशक में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 61 अरब अमेरिकी डॉलर) निवेश का लक्ष्य दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह निवेश पारंपरिक निर्माण परियोजनाओं में नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में

होगा। वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की बात करें, तो अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक भारत में जापान का संचयी (cumulative) निवेश लगभग 38.45 अरब अमेरिकी डॉलर (US$ 38.45 billion) रहा है, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹2.33 लाख करोड़ के बराबर है। जापान भारत में FDI का 5वाँ सबसे बड़ा स्रोत है। भारत-जापान शिखर सम्मेलन में जापान ने भारत में अगले दशक (2035 तक) 61 अरब अमेरिकी डॉलर (US$ 61 billion) से अधिक निवेश का लक्ष्य भी घोषित किया है। इसका अर्थ है कि भारत को केवल पूँजी नहीं मिलेगी बल्कि भविष्य की तकनीकों में साझेदारी का अवसर भी मिलेगा।

इन समझौतों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) है। पहले राष्ट्र अपनी सुरक्षा को केवल सैन्य शक्ति से जोड़ते थे, लेकिन आज चिप, बैटरी, रेयर अर्थ मिनरल्स और डेटा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। कोविड-19 महामारी और हाल के वैश्विक संकटों ने दिखाया कि यदि आपूर्ति शृंखला कुछ देशों पर अत्यधिक निर्भर हो जाए तो

पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारत और जापान का नया रोडमैप इसी जोखिम को कम करने का प्रयास है।

सेमीकंडक्टर (जापान शीर्ष 5 देशों में विशेषकर सामग्री और उपकरणों में)सहयोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज विश्व की अधिकांश उन्नत चिप निर्माण क्षमता कुछ सीमित क्षेत्रों में केंद्रित है। अमेरिका–चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र को वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बना दिया है। जापानी कंपनियों का गुजरात और अन्य राज्यों में निवेश केवल व्यावसायिक निर्णय नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और विविधीकृत आपूर्ति शृंखला बनाने की रणनीति का हिस्सा है। यदि भारत इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लेता है, तो वह केवल चिप आयात करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, Open RAN, क्वांटम प्रौद्योगिकी और डेटा सेंटर में बढ़ता सहयोग यह संकेत देता है कि भारत और जापान भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियम तय करने वाली साझेदारी विकसित करना चाहते हैं। जापान की हार्डवेयर विशेषज्ञता और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता यदि प्रभावी ढंग से जुड़ती है, तो यह एशिया में तकनीकी नवाचार का नया मॉडल बन सकता है।

स्वच्छ ऊर्जा सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-एथेनॉल और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ केवल जलवायु परिवर्तन से जुड़ी पहल नहीं हैं। इनका संबंध ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने, नए उद्योग विकसित करने और हरित रोजगार सृजन से भी है। आने वाले वर्षों में ऊर्जा परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनने वाला है और भारत–जापान साझेदारी इस परिवर्तन का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

इन सभी समझौतों के पीछे एक बड़ा भू-राजनीतिक संदर्भ भी है। भारत और जापान दोनों हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थक हैं। दोनों देश किसी सैन्य टकराव की राजनीति नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे, आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित न हों और आर्थिक दबाव को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। यही कारण है कि इस शिखर सम्मेलन में रक्षा और आर्थिक सुरक्षा को समान महत्व दिया गया।

फिर भी भारत के सामने चुनौती कम नहीं है। विदेशी निवेश की घोषणाएँ तभी सफल होंगी जब परियोजनाएँ समय पर पूरी हों, नियामकीय प्रक्रियाएँ सरल हों, कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो और अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त निवेश किया जाए। मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के अनुभव से यह स्पष्ट है कि केवल बड़े वादे पर्याप्त नहीं होते; उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही वास्तविक सफलता तय करता है।

आज भारत और जापान के बीच व्यापार लगभग 27.5 अरब डॉलर है, जबकि भारत में लगभग 1,400 जापानी कंपनियाँ कार्यरत हैं। दोनों देशों की आर्थिक क्षमता को देखते हुए यह स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। यदि वर्तमान समझौते सफलतापूर्वक लागू होते हैं, तो आने वाले दशक में यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हिंद-प्रशांत की आर्थिक और रणनीतिक संरचना को भी प्रभावित करेगी।

21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व केवल सैन्य शक्ति से तय नहीं होगा। तकनीकी क्षमता, आर्थिक सुरक्षा, विश्वसनीय साझेदारियाँ और नवाचार ही नई शक्ति के वास्तविक मानक होंगे। भारत और जापान ने इस दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। अब यह दोनों सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इन घोषणाओं को कितनी तेजी और प्रभावशीलता से ज़मीन पर उतार पाती हैं। यदि ऐसा हुआ, तो आने वाला दशक केवल भारत–जापान संबंधों का नहीं, बल्कि एशिया के नए रणनीतिक संतुलन का दशक भी हो सकता है। ■

इस साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें

सात साल से एक ही बिजली दर वसूलने वाला पहला राज्य बना यूपी

3.80 करोड़ उपभोक्ताओं को मिली राहत

डीडीसी न्यूज एजेंसी

प्रदेश में इस वर्ष भी बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। लगातार सातवें साल भी बिजली दरें नहीं बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। यहां वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पहले से निर्धारित दरों पर ही बिजली बिल लिया जाएगा। बिजली कंपनियों की ओर से पावर कार्पोरेशन ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,18,742 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल किया था। नियामक आयोग ने विभिन्न मदों में कटौती करते हुए 1,13,785 करोड़ रुपये निर्धारित किया। कार्पोरेशन ने 16448 करोड़ के अंतर को बताते हुए बिजली दरें बढ़ाने की मांग की। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने तर्क दिया कि बिजली दरें बढ़ाने से पहले उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस करीब 51 हजार करोड़ रुपये लौटाया जाए। इसी तरह नियामक आयोग ने सब्सिडी को अलग रखते हुए 90,805 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व निर्धारित किया है, जबकि राज्य सरकार की सब्सिडी शामिल करने पर वर्तमान टैरिफ के आधार पर सभी बिजली कंपनियों को 1,11,205 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई विद्युत दरों की घोषणा की। टैरिफ आदेश में साफ किया कि बिजली दरें यथावत रहेंगी। आयोग से इस निर्देश से करीब 3.80 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिला है। साथ ही उत्तर प्रदेश का नया रिकॉर्ड भी बन गया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां सात वर्ष से बिजली दरें नहीं बढ़ी हैं।

बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशनों को 20 प्रतिशत की रियासत विद्युत नियामक आयोग ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों तथा बैटरी चार्जिंग एवं सर्विस चार्जिंग स्टेशनों के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ लागू किया है। साथ ही सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बैटरी चार्जिंग पर 20 प्रतिशत की रियायत दी है। राज्य सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 17,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, पावर कॉरपोरेशन ने जहां वितरण हानियां 13.71 प्रतिशत प्रस्तावित की थीं, आयोग ने उन्हें घटाकर 12.91 प्रतिशत निर्धारित किया।

नोएडा के उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी 10 फीसदी की छूट नोएडा पावर कंपनी द्वारा अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 प्रतिशत रिबेट समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन परिषद के विरोध के बाद आयोग ने यह रियायत वर्ष 2026-27 में भी यथावत रखने का निर्णय लिया।

क्यों नहीं बढ़ी बिजली दरें

विद्युत नियामवली में यह प्रावधान है कि जब तक उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकलेगी तब तक बिजली दरें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। अभी बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का करीब 51 हजार करोड़ रुपया सरप्लस है। ऐसे में उपभोक्ता परिषद इसी सरप्लस को लौटाने की मांग कर रहा है। हालांकि पिछले दिनों नियमावली में बदलाव के कारण पावर कॉरपोरेशन को वर्ष 2026-27 में लगभग 2,579 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपये का सरप्लस लाभ मिलने का अनुमान है। ऐसे में उपभोक्ताओं का सरप्लस 51 हजार करोड़ से करीब तीन हजार करोड़ घटने का अनुमान है।

3.80 करोड़ उपभोक्ताओंकी जीत- वर्मा

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का आभार जताते हुए कहा कि यह 3.80 करोड़ उपभोक्ताओं की जीत है। परिषद के विधिक एवं तथ्यात्मक पक्षों के कारण बिजली कंपनियों की दर वृद्धि की मांग खारिज हुई। परिषद ने कहा कि मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन में हुए बदलाव के कारण इस वर्ष पावर कॉरपोरेशन को कुछ सरप्लस लाभ अवश्य मिला है, लेकिन भविष्य में परिषद इस विषय पर भी प्रभावी पैरवी कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी। परिषद ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बिजली दरों में वृद्धि की कोशिश की गई थी, जिसे आयोग के समक्ष विफल कर दिया गया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता हितों के लिए परिषद की ओर से उठाए गए ज्यादातर मुद्दों पर नियामक आयोग ने मान लिया है। उन्होंने नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली दरों को यथावत रखने के ऐतिहासिक निर्णय पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लिए गए फैसले से करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हुई है। आयोग के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता, शिकायत निस्तारण प्रणाली, ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत तथा विद्युत वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा।

मांग बढ़ी, फिर भी नहीं बढ़ीं दरें- एके शर्मा

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि लगातार सातवें वर्ष भी बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति लगातार बेहतर हुई है और शहरों से लेकर गांवों तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया है। राज्य में अधिकतम विद्युत आपूर्ति 32,673 मेगावाट तक पहुंच गई। फिर भी सभी उपभोक्ताओं के लिए 2026-27 में भी वही दरें रहेंगी जो सात वर्ष पहले थीं और यह तब जब विद्युत आपूर्ति भी अधिकतम है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां सात साल से लगातार बिजली दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। यह प्रदेश सबसे न्यूनतम दर पर बिजली उपलब्ध करा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की विद्युत आपूर्ति देश की सर्वाधिक एवं सबसे बेहतर श्रेणी में है। उपभोक्ता को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सोलर आवर्स में 20 प्रतिशत टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश ने 32,673

मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता सोलर पार्कों

अभी क्या हैं औसत बिजली दरें

शहरी इलाके में घरेलू उपभोक्ता

0- 100 यूनिट तक 5.50 रुपये प्रति यूनिट।

101-150 यूनिट तक 5.50 रुपये प्रति यूनिट।

151-300 यूनिट तक 6.00 रुपये प्रति यूनिट।

300 यूनिट से अधिक 6.50 रुपये प्रति यूनिट।

फिक्स चार्ज 110 रुपया प्रति किलोवाट।

ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ता

0-100 यूनिट 3.35 रुपया प्रति यूनिट।

101-150 यूनिट 3.85 रुपया प्रति यूनिट।

151-300 यूनिट 5.00 रुपया प्रति यूनिट।

300 यूनिट से अधिक 5.50 रुपया प्रति यूनिट।

फिक्स चार्ज 90 रुपया प्रति किलोवाट।

बीपीएल उपभोक्ता

बिजली दर तीन रुपया प्रति यूनिट। फिक्स चार्ज 50 रुपया प्रति किलोवाट।

मासिक खपत 100 यूनिट से कम होनी चाहिए।

से तथा लगभग 2,500 मेगावाट क्षमता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से विकसित की जा रही है। पहले तापीय संयंत्र लगभग 65 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर संचालित होते थे, अब लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व का परिणाम हैं।

पांच फीसदी चेक मीटर की रिपोर्ट देने का निर्देश

नियामक आयोग ने नए टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियतें दी हैं। उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर का खर्चा डालने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही 1912 पर आने वाली शिकायतें के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्देश दिया है। बिजली कंपनियों ने वर्ष 2026-27 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित 3,838 करोड़ रुपये का खर्च उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव दिया था। नियामक आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू होने के बाद पावर कॉरपोरेशन ऐसा कोई ठोस आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस व्यवस्था से बिजली कंपनियों को वास्तविक वित्तीय लाभ कितना हुआ है। ऐसे में यह खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है। आयोग ने प्रदेश में लगाए गए लगभग 90 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त किया है। कहा कि नियमानुसार इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 प्रतिशत चेक मीटर लगाए जाने थे। फिर भी स्मार्ट मीटरों से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे 5 प्रतिशत चेक मीटरों की जांच एवं गुणवत्ता परीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्मार्ट मीटरों के एक्यूरेसी टेस्ट के संबंध में प्रत्येक एएमआईएसपी तथा प्रत्येक जिले के आधार पर पृथक-पृथक गुणवत्ता एवं परीक्षण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि मीटरों की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। आयोग के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में औसत आपूर्ति लागत 7.96 रुपये प्रति यूनिट तथा औसत बिलिंग दर 7.78 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। नियामक आयोग ने 1912 पर आने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों को देलकर भी कड़ा रुख अपनाया है। कहा कि शिकायतों के पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था पर तीन माह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। फिर भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने की स्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत

नियामक आयोग ने अपने ही घर में आजीविका के लिए दुकान चलाने वालों को अलग से कनेक्शन लेने के मामले को भी गंभीरता से लिया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग को बताया था कि करीब 40 लाख उपभोक्ता घर में दुकानें चलाते हैं। वे दुकान में बल्ब या पंखा लगा लें तो उनके खिलफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। ऐसे में आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को तीन माह में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी तरह वर्टिकल व्यवस्था के फेल होने और संविदा कर्मियों की कमी के मामले में भी पावर कार्पोरेशन को निर्देश दिया है। आयोग ने क हा कि पूरे वर्टिकल सिस्टम का किसी स्वतंत्र एवं पेशेवर एजेंसी से आकलन कराया जाए। उपकेंद्रों एवं फीडर स्तर तक रखरखाव कार्यों के लिए पर्याप्त नियमित एवं संविदा कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2019 में निर्धारित मानव संसाधन मानकों का पूर्ण पालन किया जाए तथा प्रत्येक फीडर स्तर पर आवश्यक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विद्युत व्यवस्था अधिक विश्वसनीय, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बन सके। ■

एआई के लिए रामानुजन चुनौती

क्या मशीनें मानवीय प्रतिभा की बराबरी कर सकती हैं ?

एआई के लिए वास्तविक चुनौती केवल अधिक शक्तिशाली बनना नहीं, बल्कि उस सृजनात्मक और सहज मानवीय बुद्धि के निकट पहुँचना है, जिसने रामानुजन जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया। यही "एआई के लिए रामानुजन चुनौती" का मूल सार है।

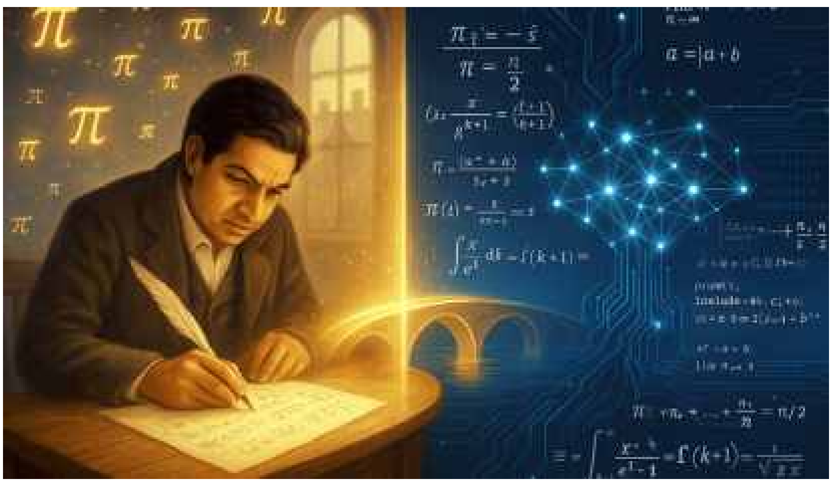

डॉ विजय गर्ग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज एआई जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता कर सकती है और नई खोजों के द्वार खोल रही है। फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है—क्या एआई कभी महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जैसी अद्वितीय प्रतिभा, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता प्राप्त कर सकेगी? यही प्रश्न "एआई के लिए रामानुजन चुनौती" के रूप में देखा जाता है।

श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणित के इतिहास के ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, जिन्होंने सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद गणित के क्षेत्र में हजारों मौलिक सूत्रों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनकी अनेक खोजों ने उस समय के विश्वप्रसिद्ध गणितज्ञों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके कार्यों में गहरी अंतर्दृष्टि, कल्पनाशीलता और असाधारण गणितीय संवेदनशीलता दिखाई देती है। आज भी उनके कई विचारों पर शोध जारी है।

दूसरी ओर, आधुनिक एआई प्रणालियाँ विशाल मात्रा में उपलब्ध आँकड़ों, एल्गोरिद्म और सांख्यिकीय पैटर्न के आधार पर कार्य करती हैं। वे पूर्व उपलब्ध जानकारी से सीखकर नए निष्कर्ष निकालती हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति तीव्र गति से गणना करना और बड़ी मात्रा में सूचनाओं का विश्लेषण करना है। लेकिन क्या यह क्षमता वास्तविक रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान के समान है, यह एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है।

रामानुजन की विशेषता यह थी कि वे अनेक बार ऐसे गणितीय सूत्र प्रस्तुत करते थे, जिनका तत्काल कोई स्पष्ट तर्क या प्रमाण उपलब्ध नहीं होता था। बाद में अन्य गणितज्ञों ने उन सूत्रों की सत्यता सिद्ध की। यह तथ्य बताता है कि मानव मस्तिष्क में ऐसी अंतर्निहित क्षमताएँ हैं, जिन्हें केवल आँकड़ों और नियमों के माध्यम से समझना आसान नहीं है।

एआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना है। मानव रचनात्मकता अनुभव, भावनाओं, जिज्ञासा, कल्पना और अंतर्ज्ञान के मिश्रण से विकसित होती है। मनुष्य कभी-कभी स्थापित सीमाओं से परे जाकर ऐसे समाधान खोज लेता है, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई होती। यही वह क्षेत्र है, जहाँ एआई अभी भी मानव बुद्धि से काफी पीछे दिखाई देती है।

हालाँकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में एआई और मानव बुद्धिमत्ता एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एआई विशाल डेटा का विश्लेषण कर सकती है, जटिल गणनाएँ कर सकती है और नए पैटर्न खोज सकती है, जबकि मनुष्य रचनात्मक सोच, नैतिक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता प्रदान कर सकता है। दोनों के सहयोग से विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ संभव हैं।

रामानुजन चुनौती हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है। क्या केवल गणना और तर्क ही बुद्धिमत्ता के मापदंड हैं, या फिर अंतर्ज्ञान, कल्पनाशीलता और अनुभवजन्य समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं? यदि दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, तो एआई को अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।

अंततः, रामानुजन की विरासत मानव प्रतिभा की उस अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है, जिसे पूरी तरह समझना आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एआई के लिए वास्तविक चुनौती केवल अधिक शक्तिशाली बनना नहीं, बल्कि उस सृजनात्मक और सहज मानवीय बुद्धि के निकट पहुँचना है, जिसने रामानुजन जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया। यही "एआई के लिए रामानुजन चुनौती" का मूल सार है। ■

यमुना जल समझौता

सफल होते भागीरथी प्रयास

पानी को सहेजना समय की मांग है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि भविष्य का विश्वयुद्ध पानी को लेकर हो सकता है तो अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सबसे अधिक चिंता का विषय यह भी रहा है कि कहीं आपसी लड़ाई में डीसेलाइन स्थानों पर आक्रमण हो गया तो पीने के पानी का गंभीर संकट हो जाएगा।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

गंगानदी पर करीब एक हजार बांध हैं तो गोदावरी पर 350 के आसपास बांध है। इन बांधों पर पानी को सहेजते हुए नदियों के पानी को अनुपयोगी व बर्बादी का कारण बनने से बचाने के स्थान पर क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान किया जाता है। जहां तक पार्वती, कालीसिंध, चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना का प्रश्न है

राजस्थान में कहावत है कि जल थोड़ो नेह घणो तो दूसरी और घी मांग्या मळे पण पाणी मांग्या नहीं मळे। यानी राजस्थान में पानी भले ही कम हो पर नेह अर्थात स्नेह खूब है तो दूसरी और राजस्थान में घी आसानी से मिल जाता है पर पानी बहुत कम मिल पाता है। यह आज के नहीं सदियों से चले आ रहे हालात है। मृग मरिचिका की तरह पानी की तलाश में लंबी दूरिया तय करनी पड़ती थी पर आज हालात तेजी से बदल रहे हैं। पानी को लेकर समग्र प्रयास किये जा रहे है। राजस्थान नहर ने जहां पश्चिमी राजस्थान की तकदीर ही बदल दी है वहीं नदियों को जोड़ने या अतरिक्त पानी को संजोने के समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही पानी को लेकर भागीरथी प्रयास शुरु किये और उन प्रयासों ने रंग लाना शुरु कर दिया है। यमुना जल समझौते के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थानवासियों के लिए

पानी की समस्या के समाधान के लिए किये जा रहे भागीरथी प्रयासों की कड़ी में एक और मनका जुड़ गया है। देश के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि राजस्थान पानी की कमी से जूझता प्रदेश है। यहां पर पेयजल सहित पानी की निर्भरता बरसाती पानी को लेकर ही रही है। अत्यधिक दोहन के चलते जहां पानी उपलब्ध भी है तो वहां पर जलस्तर तेजी से नीचे जाता जा रहा है ऐसे में पानी को लेकर समग्र, समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास किया जाना जरुरी हो जाता है।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर मेमोरण्डम ऑफ एग्रीमेंट एमओए के हस्तांतरण के साथ ही राजस्थान में यमुना जल के 32 साल पुराने सपने के साकार होने की राह प्रशस्त हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच समझौते से खासतौर से शेखावटी के तीन जिले चुरु, झुन्झुनू और सीकर तक यमुना का जल पहुंच सकेगा। इससे इन जिलों की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। दरअसल 12 मई, 1994 को उपरी यमुना जल बेसिन समझौता हुआ और इसके अनुसार राजस्थान को 10.4 प्रतिशत पानी मिलना था। पर 32 साल बीत जाने के बाद भी यह समझौता धरातल पर उतरने की स्थिति में नहीं आ सका। 29 जून, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति पर ऐतिहासिक समझौते का परस्पर हस्तांतरण होना अपने आपमें महत्वपूर्ण हो जाता है। Water

लंबे समय से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए भागीरथी प्रयास शुरु कर दिए गए। उसी का परिणाम है कि पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी पर बात बनी और उसके बाद रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट धरातल पर आना शुरु हुआ। अब यमुना जल समझौते के साथ ही भजनलाल शर्मा के सही मायने में मरुधरा में पानी लाने के भागीरथी प्रयास आकार लेने लगे हैं। भजनलाल शर्मा की पानी को लेकर गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों गंगा दशहरे से विश्व पर्यावरण दिवस तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समूचे प्रदेश में संचालित किया गया। देखा जाए तो यह दूरदर्शी निर्णय और प्रयास जल संकट से निजात और बर्बाद होते पानी के सदुपयोग की दिशा में बढ़ता कदम माना जाना चाहिए। दरअसल नदियों के बरबाद होते पानी का सही उपयोग तय करने के लिए 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना आरंभ की थी। यह योजना सिरे से चढ़ती उससे पहले ही 2004 में नई सरकार आते ही इस परियोजना को ठंडे बस्ते में ड़ाल दिया गया। इसके बाद 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जारी रखने के केन्द्र सरकार को निर्देश दिए। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा 44605 करोड़ की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम किया जा रहा है।

गंगानदी पर करीब एक हजार बांध हैं तो गोदावरी पर 350 के आसपास बांध है। इन बांधों पर पानी को सहेजते हुए नदियों के पानी को अनुपयोगी व बर्बादी का कारण बनने से बचाने के स्थान पर क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान किया जाता है। जहां तक पार्वती, कालीसिंध, चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना का प्रश्न है। यह राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार व केन्द्र से सहमति नहीं बनने के कारण लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ईआरसीपी 13 जिलों, 9 लोकसभा क्षेत्रों और करीब 83 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी होने के कारण यह परियोजना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारण भी रही। इस परियोजना क्षेत्र में राज्य के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों के निवासी लाभान्वित हो सकेंगे। यह कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है।

देखा जाए तो ईआरसीपी परियोजना हो या रामजल सेतु लिंक योजना या फिर 29 जून को राजस्थान व हरियाणा के बीच संपन्न यमुना जल समझौता हो कुल मिलाकर इसे एक मुख्यमंत्री के भागीरथी प्रयास के रुप में देखा जा सकता है। पानी को सहेजना समय की मांग है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि भविष्य का विश्वयुद्ध पानी को लेकर हो सकता है तो अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सबसे अधिक चिंता का विषय यह भी रहा है कि कही आपसी लड़ाई में डीसेलाइन स्थानों पर आक्रमण हो गया तो पीने के पानी का गंभीर संकट हो जाएगा। हांलाकि ऐसा नहीं होना अच्छी बात रही है। खैर यह विषयांतर होगा। पर निश्चित रुप से भजनलाल शर्मा के पानी की समस्या हल करने के भागीरथी प्रयासों को देश के अन्य हिस्सों में भी आकार में लाने के ठोस प्रयास किये जाते हैं तो देश में पानी का संकट एक हद तक दूर किया जा सकेगा। शहरऔर स्थानीय मार्गदर्शिका ■

जन्म से योग्यता तक

मंदिर प्रबंधन में दलित और गैर-ब्राह्मण नेतृत्व की बढ़ती स्वीकार्यता

संभव है कि आने वाले वर्षों में मंदिर ट्रस्टों के गठन, पुजारियों की नियुक्ति और धार्मिक नेतृत्व के मानकों पर और व्यापक विमर्श हो। यदि यह विमर्श सामाजिक समरसता, योग्यता, पारदर्शिता और धार्मिक मर्यादा के संतुलन के साथ आगे बढ़ता है, तो यह केवल मंदिरों की व्यवस्था नहीं बदलेगा, बल्कि भारतीय समाज में विश्वास और एकता की नई आधारशिला भी रखेगा।

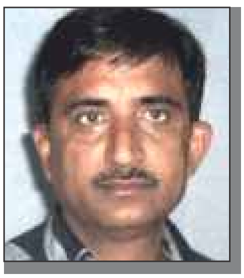

के पी सिंह

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ केवल एक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि हिंदू समाज की वैचारिक यात्रा का एक नया अध्याय भी सामने आया। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मंदिरों के नेतृत्व, प्रबंधन और धार्मिक प्रतिष्ठा को लेकर लंबे समय से चली आ रही कई पारंपरिक धारणाएँ बदलती दिखाई दे रही हैं। इसका सबसे ताज़ा और चर्चित उदाहरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी कृष्ण मोहन को महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व सौंपा जाना है। इससे पहले इस ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल जैसी दलित पृष्ठभूमि की प्रतिष्ठित हस्ती को ट्रस्टी बनाया गया था। यह केवल दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं है, बल्कि उस वैचारिक परिवर्तन का संकेत है जिसमें जन्म से अधिक महत्व योग्यता, निष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता और संगठनात्मक क्षमता को मिलने लगा है।

भारतीय समाज में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहे हैं। वे सामाजिक नेतृत्व, सांस्कृतिक स्मृति, आर्थिक संसाधनों और धार्मिक अधिकार के भी केंद्र रहे हैं। इसलिए मंदिर का प्रबंधन सदैव प्रतिष्ठा और प्रभाव का विषय रहा। सदियों तक अधिकांश बड़े मंदिरों के प्रबंधन और धार्मिक नेतृत्व पर सीमित सामाजिक वर्गों का प्रभाव रहा। यह स्थिति ऐतिहासिक, सामाजिक और स्थानीय परिस्थितियों से निर्मित हुई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में संविधान, लोकतंत्र, शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों ने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू की।

एक समय था जब दलित समाज मंदिर प्रवेश के

अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के माध्यम से मंदिरों के द्वार खोलने का अभियान चलाया। दूसरी ओर डॉ. भीमराव आंबेडकर का मानना था कि केवल मंदिर प्रवेश से सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं होगा; उसके लिए सामाजिक समानता और आत्मसम्मान आवश्यक है। आज, लगभग एक शताब्दी बाद, बहस मंदिर प्रवेश से आगे बढ़कर मंदिर प्रबंधन तक पहुँच चुकी है। यह परिवर्तन अपने आप में ऐतिहासिक है।

राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कामेश्वर चौपाल का नाम पूरे देश में चर्चित हुआ। वर्ष 1989 में जब शिलान्यास हुआ तो पहली शिला रखने का सम्मान उन्हें दिया गया। यह निर्णय प्रतीकात्मक नहीं था; इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भगवान राम किसी एक जाति के नहीं, बल्कि पूरे समाज के हैं। बाद में जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, तब कामेश्वर चौपाल को ट्रस्टी बनाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि सामाजिक समरसता केवल भाषणों का विषय नहीं, बल्कि संस्थागत संरचना में भी स्थान पा रही है।

हाल में कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद ट्रस्ट में कृष्ण मोहन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। वे भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और लंबे प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अंतरिम महासचिव का दायित्व सौंपा जाना इस बात का संकेत माना गया कि मंदिर प्रबंधन में अब केवल परंपरागत सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और विश्वास भी निर्णायक आधार बन रहे हैं। यह नियुक्ति इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि राम मंदिर का ट्रस्ट आज देश की सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थाओं में गिना जाता है।

इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। लंबे समय तक यह धारणा रही कि अनेक मंदिरों में केवल परंपरागत ब्राह्मण परिवारों के लोग ही अर्चक बन सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में विभिन्न सरकारों ने सभी जातियों के योग्य युवाओं को आगम शास्त्रों का प्रशिक्षण देकर पुजारी बनने का अवसर देने की पहल की। इस प्रक्रिया में अनेक गैर-ब्राह्मण और अनुसूचित जाति समुदाय के प्रशिक्षित अर्चकों की नियुक्ति हुई। इस कदम का विरोध भी हुआ और समर्थन भी, लेकिन यह निर्विवाद है कि इसने धार्मिक नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय बहस को नई दिशा दी।

दिलचस्प बात यह है कि इस परिवर्तन का आधार केवल सरकारी नीतियाँ नहीं हैं। स्वयं हिंदू समाज के भीतर भी व्यापक वैचारिक परिवर्तन दिखाई देता है। आज धार्मिक प्रवचन सुनने वाला समाज कथावाचक की जाति नहीं पूछता, बल्कि उसके ज्ञान, वाणी और आध्यात्मिक प्रभाव को महत्व देता है। मोरारी बापू, साध्वी निरंजन ज्योति और अनेक अन्य लोकप्रिय कथावाचकों की स्वीकार्यता इस बात का संकेत है कि धार्मिक नेतृत्व की सामाजिक परिभाषा बदल रही है। इनमें सभी दलित नहीं हैं, लेकिन यह अवश्य है कि इनकी लोकप्रियता जन्माधारित धार्मिक अधिकार की पुरानी अवधारणा को चुनौती देती है।

इसी प्रकार अनेक संत परंपराओं ने सदियों पहले ही जाति की सीमाओं को चुनौती दी थी। संत रविदास, संत कबीर, संत नामदेव, चोखामेला, नंदनार और अनेक भक्त संतों ने भक्ति को जन्म से ऊपर रखा। आज उनके अनुयायी करोड़ों की संख्या में हैं। विडंबना यह रही कि उनके विचार व्यापक रूप से स्वीकार किए गए, लेकिन मंदिरों की संस्थागत संरचना में उनका प्रभाव धीरे-धीरे पहुँचा। अब पहली बार संस्थागत स्तर पर भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

आधुनिक काल में कई धार्मिक संगठनों ने सामाजिक समरसता को अपने कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। के विभिन्न सरसंघचालकों ने समय-समय पर अस्पृश्यता को हिंदू समाज के लिए कलंक बताया। ने 1974 में कहा था कि यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। यह वक्तव्य सामाजिक समरसता के विमर्श में अक्सर उद्धृत किया जाता है। बाद के वर्षों में संघ ने समरसता भोज, संत सम्मेलन और साझा धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक दूरी कम करने का प्रयास किया।

समय-समय पर संत सम्मेलनों और धर्म संसदों में यह मत रखा कि हिंदू समाज की एकता जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर ही संभव है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कामेश्वर चौपाल को शिलान्यास का सम्मान दिए जाने को भी इसी

व्यापक वैचारिक प्रयास का हिस्सा माना गया।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मंदिर प्रबंधन में परिवर्तन केवल दलित प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। अनेक स्थानों पर अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजातीय समुदायों और स्थानीय परंपराओं से जुड़े लोगों को भी ट्रस्टों और समितियों में स्थान मिलने लगा है। इससे मंदिरों की सामाजिक संरचना पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधिक बन रही है।

फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरे भारत में मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था बदल चुकी है। अधिकांश बड़े मंदिर आज भी राज्य सरकारों द्वारा गठित समितियों, पुराने ट्रस्टों या परंपरागत धार्मिक संस्थाओं के अधीन संचालित होते हैं। अनेक स्थानों पर सामाजिक प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। इसलिए वर्तमान परिवर्तन को एक विकसित होती प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

इस बहस का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। अनेक धर्माचार्य मानते हैं कि मंदिर का प्रशासन और मंदिर की पूजा-पद्धति दो अलग विषय हैं। उनके अनुसार ट्रस्ट का सदस्य कोई भी योग्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पूजा-अर्चना के संबंध में संबंधित आगम, वेद, शास्त्र और परंपरा का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी ओर सामाजिक न्याय के समर्थक कहते हैं कि यदि प्रशिक्षण और अध्ययन के बाद कोई व्यक्ति आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जन्म को आधार बनाकर अवसर से वंचित करना उचित नहीं होगा। यही बहस आज विभिन्न राज्यों और न्यायालयों में भी दिखाई देती है।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी समाज में वास्तविक परिवर्तन तब माना जाता है जब सत्ता,

फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरे भारत में मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था बदल चुकी है। अधिकांश बड़े मंदिर आज भी राज्य सरकारों द्वारा गठित समितियों, पुराने ट्रस्टों या परंपरागत धार्मिक संस्थाओं के अधीन संचालित होते हैं। अनेक स्थानों पर सामाजिक प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है।

संसाधन और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़े। यदि दलित समाज केवल श्रद्धालु बना रहे और निर्णय हमेशा अन्य लोग लेते रहें, तो समानता अधूरी रहेगी। लेकिन यदि भागीदारी केवल प्रतीकात्मक हो और वास्तविक अधिकार न हों, तब भी परिवर्तन अधूरा माना जाएगा। इसलिए भविष्य की चुनौती केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी और उत्तरदायी बनाने की है।

भारत की धार्मिक परंपरा स्वयं इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराती है। राम ने शबरी के जूठे बेर स्वीकार किए, निषादराज गुह को मित्र बनाया और केवट को सम्मान दिया। श्रीकृष्ण ने विदुर के घर भोजन किया। भक्ति आंदोलन ने बार-बार यह संदेश दिया कि ईश्वर के सामने जन्म नहीं, भक्ति और आचरण का महत्व है। यदि धार्मिक आख्यानों में यह आदर्श स्वीकार है, तो आधुनिक धार्मिक संस्थाओं में उसका संस्थागत विस्तार अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता।

वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि मंदिर का प्रबंधन किस जाति के हाथ में हो। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या मंदिर का प्रबंधन ऐसे लोगों के हाथ में है जो ईमानदार हों, धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हों, प्रशासनिक क्षमता रखते हों और पूरे समाज का विश्वास जीत सकें। यदि इन गुणों के आधार पर दलित, पिछड़े, जनजातीय, ब्राह्मण या किसी भी समुदाय का व्यक्ति चयनित होता है, तो वह भारतीय संविधान और भारतीय धार्मिक परंपरा—दोनों की भावना के अधिक निकट होगा।

अयोध्या से लेकर तमिलनाडु तक दिखाई देने वाले उदाहरण इस बात का संकेत हैं कि हिंदू समाज में एक नई वैचारिक प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया धीमी है, विवादों से मुक्त नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता। कामेश्वर चौपाल से कृष्ण मोहन तक की यात्रा केवल व्यक्तियों की यात्रा नहीं है; यह उस सामाजिक परिवर्तन की कहानी है जिसमें मंदिर के द्वार से आगे बढ़कर मंदिर के प्रबंधन तक समान भागीदारी की चर्चा होने लगी है।

संभव है कि आने वाले वर्षों में मंदिर ट्रस्टों के गठन, पुजारियों की नियुक्ति और धार्मिक नेतृत्व के मानकों पर और व्यापक विमर्श हो। यदि यह विमर्श सामाजिक समरसता, योग्यता, पारदर्शिता और धार्मिक मर्यादा के संतुलन के साथ आगे बढ़ता है, तो यह केवल मंदिरों की व्यवस्था नहीं बदलेगा, बल्कि भारतीय समाज में विश्वास और एकता की नई आधारशिला भी रखेगा। ■

तारीफ से टकराव तक

धर्मेंद्र प्रधान और सोनम वांगचुक के रिश्तों का बड़ा यू-टर्न

देवेन्द्र

भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में रिश्ते तथा विचारों के समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं शिक्षाविद् सोनम वांगचुक के संबंध इसका एक चर्चित उदाहरण बन गए हैं। वर्ष 2023 में जहां दोनों शिक्षा सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर एक-दूसरे की सराहना करते दिखाई दिए थे, वहीं वर्ष 2026 में दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि सोनम वांगचुक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। यह घटनाक्रम देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही को लेकर चल रही बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

मार्च 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो से मुलाकात की थी। इस बैठक का मुख्य विषय शिक्षा में नवाचार, सतत विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन था। मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वांगचुक के विचार, शिक्षा के प्रति उनका समर्पण और नवाचार की सोच प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा था कि ऐसी चर्चाएं भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक होंगी।

दूसरी ओर, सोनम वांगचुक ने भी उस समय शिक्षा मंत्री की खुले मंच से प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा में नए विचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उनसे हुई बातचीत के बाद उन्हें विश्वास हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयासों को गति मिलेगी। उस समय दोनों के बीच सहयोग और विश्वास का वातावरण दिखाई दे रहा था।

लेकिन वर्ष 2026 में परिस्थितियां तेजी से बदल गईं। NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और सीबीएसई की ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने शिक्षा मंत्रालय को कठघरे में खड़ा कर दिया। परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित किए जाने के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों में असंतोष फैल गया। विपक्ष के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता तथा मंत्रालय की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

इसी दौरान एक अलग विवाद में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' नाम से व्यंग्यात्मक अभियान शुरू हुआ। इसी अभियान के तहत दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई गई। धीरे-धीरे यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया।

सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े और बाद में उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी हड़ताल कई दिनों तक जारी रही और स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आने लगीं। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी की।

हालांकि, सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल किसी एक मंत्री का इस्तीफा हासिल करना नहीं है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उनकी भूख हड़ताल से देश के लोग शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता होगी। उनके अनुसार, केवल एक व्यक्ति के पद छोड़ने से व्यापक बदलाव नहीं आएगा, बल्कि वास्तविक परिवर्तन तब संभव होगा जब नागरिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर स्वयं जागरूक होंगे।

धर्मेंद्र प्रधान और सोनम वांगचुक के संबंधों में आया यह बदलाव केवल दो व्यक्तियों के बीच मतभेद की कहानी नहीं है। यह उस चुनौती को भी दर्शाता है, जिसका सामना आज भारत की शिक्षा व्यवस्था कर रही है। एक समय शिक्षा सुधार के साझा एजेंडे पर साथ खड़े दिखाई देने वाले दो प्रमुख चेहरे आज अलग-अलग पक्षों में नजर आ रहे हैं। यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संवाद, जवाबदेही और जनविश्वास किसी भी नीति या व्यवस्था की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ■

नितिन नवीन की रणनीति और 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों के साथ कई दौर की बैठकें कर स्पष्ट संदेश दिया है कि आगामी चुनाव संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच निरंतर संवाद के आधार पर लड़ा जाएगा।

देवेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय अभियान शुरू कर दिया है। हाल के दौरों और बैठकों से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि भाजपा चुनावी रणनीति को केवल बड़े नेताओं की सभाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि हर कार्यकर्ता को चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहती है।

नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों के साथ कई दौर की बैठकें कर स्पष्ट संदेश दिया है कि आगामी चुनाव संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच निरंतर संवाद के आधार पर लड़ा जाएगा। उन्होंने उम्मीदवारों के चयन में मेरिट, जनसंपर्क और संगठनात्मक सक्रियता को प्राथमिकता देने की बात कही है। यह संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रदर्शन आधारित राजनीति को बढ़ावा देने का संकेत मिलता है।

भाजपा की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नितिन नवीन ने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर यह स्पष्ट किया कि गठबंधन की एकजुटता आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और सामाजिक रूप से विविध राज्य में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों तक प्रभावी पहुंच बनाने के लिए गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पिछली उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करना भी होगा। कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, एक्सप्रेसवे, निवेश, रोजगार, किसानों की आय, युवाओं के अवसर, महिलाओं की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं ऐसे विषय हैं जिन पर चुनावी विमर्श केंद्रित रह सकता है। नितिन नवीन लगातार कार्यकर्ताओं से इन विषयों को

भाजपा की तीसरी रणनीति एनडीए सहयोगी दलों के साथ तालमेल को मजबूत बनाए रखना है। पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित किया जाएगा। इससे विभिन्न वर्गों तक व्यापक राजनीतिक पहुंच बनाने का प्रयास होगा।

जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति केवल संगठन की मजबूती से तय नहीं होती। विपक्षी दल भी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरेंगे और स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों तथा जनभावनाओं के आधार पर चुनावी मुकाबला करेंगे। इसलिए 2027 का चुनाव बहुआयामी होने की संभावना है, जिसमें विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगार और क्षेत्रीय मुद्दे समान रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नितिन नवीन की संगठनात्मक शैली भाजपा के चुनावी अभियान को नई गति देने का प्रयास है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, नए मतदाताओं से संवाद बढ़ाना, डिजिटल माध्यमों का उपयोग और सहयोगी दलों के साथ तालमेल स्थापित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल दिखाई देता है। यदि यह रणनीति प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो भाजपा को चुनावी लाभ मिल सकता है। वहीं अंतिम निर्णय हमेशा मतदाताओं के हाथ में होता है और चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं।

2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह विकास मॉडल, संगठनात्मक क्षमता, जनविश्वास और राजनीतिक दृष्टिकोण की भी परीक्षा बनेगा। नितिन नवीन की भूमिका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संगठन को दिशा देने और चुनावी तैयारियों को गति प्रदान करने की रहेगी, जबकि चुनाव का वास्तविक परिणाम मतदाताओं के फैसले से ही तय होगा।

संगठन, विकास और जनसंपर्क पर फोकस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व का लक्ष्य केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि

विपक्षी दल भी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरेंगे और स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों तथा जनभावनाओं के आधार पर चुनावी मुकाबला करेंगे। इसलिए 2027 का चुनाव बहुआयामी होने की संभावना है, जिसमें विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगार और क्षेत्रीय मुद्दे समान रुप से प्रभाव डाल सकते हैं।

संगठन को और अधिक मजबूत बनाते हुए हर बूथ तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना है। हाल के संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चुनावी अभियान विकास, सुशासन, लाभार्थी संपर्क और मजबूत संगठन के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति "बूथ जीतो, चुनाव जीतो" के सिद्धांत पर आधारित दिखाई दे रही है। पार्टी प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर रही है, नियमित मंडल और जिला स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा लाभार्थियों से सीधे संवाद बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है।

दूसरा प्रमुख फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, कानून-व्यवस्था, औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण योजनाएं और डिजिटल सेवाओं को चुनावी विमर्श का प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। पार्टी का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संपर्क स्थापित कर उन्हें चुनावी समर्थन में बदला जाए।

भाजपा की तीसरी रणनीति एनडीए सहयोगी दलों के साथ तालमेल को मजबूत बनाए रखना है। पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित किया जाएगा। इससे विभिन्न वर्गों तक व्यापक राजनीतिक पहुंच बनाने का प्रयास होगा।

सामाजिक समीकरणों के स्तर पर भाजपा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला मतदाताओं, युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं तक विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया, जनसंवाद कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे संवाद अभियान भी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे हैं।

हालांकि भाजपा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय जनसमस्याएं, विपक्षी गठबंधनों की रणनीति और विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियां चुनाव को प्रतिस्पर्धी बना सकती हैं। इसलिए पार्टी संगठन को और मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने तथा स्थानीय मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने की दिशा में भी काम कर रही है।

कुल मिलाकर भाजपा की 2027 की रणनीति चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित दिखाई देती है—मजबूत संगठन, विकास कार्यों का प्रचार, लाभार्थियों से सीधा संपर्क और एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय। अंतिम निर्णय, हालांकि, चुनाव के समय मतदाताओं द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के अभियान, स्थानीय मुद्दों और जनभावनाओं के आधार पर ही होगा। ■

बांकीपुर उपचुनाव

भाजपा के अभेद्य किले में प्रशांत किशोर की अग्निपरीक्षा

बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव केवल आंकड़ों से नहीं, माहौल से भी जीते जाते हैं। लेकिन बांकीपुर में इस बार आंकड़े भाजपा के साथ हैं, संगठन भाजपा के साथ है, जबकि माहौल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने खुद अपने कंधों पर उठा ली है।

अजय कुमार

बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह मुकाबला तीन बड़े राजनीतिक संदेशों की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ भाजपा अपने तीन दशक पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती से जूझ रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश में है, जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर अपनी पूरी राजनीतिक विश्वसनीयता दांव पर लगा चुके हैं। यही वजह है कि राजधानी पटना की यह सीट पूरे बिहार की सबसे चर्चित चुनावी रणभूमि बन गई है। हालिया घटनाक्रम ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। जन सुराज के वरिष्ठ नेता रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह ने पार्टी छोड़कर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल चलाने की क्षमता उनमें नहीं दिखती। इसी बीच प्रशांत किशोर ने अपने नामांकन कार्यक्रम में भी बदलाव करते हुए अब 13 जुलाई को नामांकन करने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने कार्यकर्ताओं के लिए नया सर्कुलर जारी कर पूरी ताकत के साथ नामांकन कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। दूसरी ओर राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। पहले सांसद सुरेंद्र यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह रेखा गुप्ता को नहीं जानते, फिर वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा दिए। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी को मैदान में उतारकर महागठबंधन के वोटों में संभावित सेंध का संकेत दे दिया। कांग्रेस भी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया से असहज दिखाई दे रही है। इन घटनाओं ने विपक्षी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांकीपुर का चुनावी इतिहास भाजपा के पक्ष में बेहद मजबूत रहा है। वर्तमान स्वरूप में 2010 के परिसीमन के बाद से यह सीट लगातार भाजपा के पास रही

है, जबकि यदि पुराने पटना पश्चिम क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो 1995 से यहां भाजपा का दबदबा कायम है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चार बार और उनके पुत्र नितिन नवीन लगातार पांच बार विधायक रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे, जबकि राजद की रेखा गुप्ता को लगभग 46 हजार और जन सुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी को केवल 7,717 वोट मिले थे। यानी भाजपा और जन सुराज के बीच करीब 90 हजार

वोटों का अंतर था। यही आंकड़ा बताता है कि प्रशांत किशोर के सामने चुनौती कितनी कठिन है। फिर भी प्रशांत किशोर ने सुरक्षित सीट चुनने के बजाय भाजपा के सबसे मजबूत किले में उतरने का फैसला किया। उनका तर्क है कि यह चुनाव केवल जीत-हार का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद जनता से वोट मांग रहे हैं। पिछले कई महीनों से उन्होंने बांकीपुर में अलग तरह का चुनाव अभियान तैयार किया है। सुबह पार्कों में युवा टीम लोगों से संवाद करती है, दिन में महिला कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर महंगाई, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाती हैं, जबकि शाम को नुक्कड़ सभाओं, चौपाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भाजपा और राजद दोनों पर हमला बोला जाता है। सोशल मीडिया से लेकर मोहल्ला स्तर तक जन सुराज ने हाईटेक और जमीनी प्रचार का मिश्रित मॉडल तैयार किया है।

लेकिन चुनाव केवल अभियान से नहीं जीते जाते। बांकीपुर का सामाजिक समीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग चार लाख मतदाता हैं। इनमें कायस्थ मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 14 प्रतिशत बताई जाती है। भाजपा ने इसी समीकरण को ध्यान में रखते

हुए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा वैश्य, सवर्ण, शहरी मध्यम वर्ग और भाजपा का पारंपरिक संगठनात्मक नेटवर्क भी इस सीट पर मजबूत माना जाता है। दूसरी ओर मुस्लिम मतदाता लगभग 8 से 10 प्रतिशत माने जाते हैं और उनका बड़ा हिस्सा भाजपा विरोधी मतदान करता रहा है। ऐसे में यदि विपक्ष बंटता है तो मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा राजद की ओर जाने की संभावना अधिक मानी जा रही है, क्योंकि राजद लगातार यह नैरेटिव बनाने की

कोशिश कर रहा है कि भाजपा को वास्तविक चुनौती वही दे सकता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी उम्मीद युवा मतदाता हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन, खराब शहरी व्यवस्था, जलजमाव, ट्रैफिक और शिक्षा जैसे मुद्दों को उन्होंने लगातार चुनावी बहस का केंद्र बनाया है। बांकीपुर शहरी सीट है और यहां पढ़े-लिखे तथा नौकरीपेशा मतदाताओं की संख्या ग्रामीण सीटों की तुलना में अधिक है। यही कारण है कि जन सुराज जातीय राजनीति से हटकर 'गुड गवर्नेंस' और शहरी विकास का एजेंडा सामने रख रही है। लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति का अनुभव बताता है कि अंतिम समय में जातीय ध्रुवीकरण अक्सर स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ता है।

इस चुनाव में भाजपा की रणनीति भी बदली हुई नजर आ रही है। पार्टी ने केवल उम्मीदवार घोषित कर चुनाव नहीं छोड़ा है, बल्कि संगठन के बड़े नेताओं को बांकीपुर में सक्रिय कर दिया है। नितिन नवीन स्वयं क्षेत्र में लगातार मौजूद हैं और पार्टी बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने में जुटी है। भाजपा इस चुनाव को अपनी संगठनात्मक ताकत और शहरी वोट बैंक की परीक्षा मान रही है। दूसरी तरफ राजद इसे भाजपा के खिलाफ विपक्षी आधार बचाने की लड़ाई के रूप में देख रहा है। जबकि जन सुराज के लिए यह अस्तित्व और भविष्य दोनों का सवाल बन चुका है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का कुल मत प्रतिशत लगभग 2.44 प्रतिशत ही रहा। ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे कुछ महीनों के भीतर अपने संगठन को इतनी मजबूती दे पाए हैं कि भाजपा और राजद जैसे स्थापित दलों को सीधी चुनौती दे सकें। यदि जन सुराज का वोट शेयर कई गुना बढ़ता है, भले जीत न मिले, तब भी प्रशांत किशोर इसे अपनी राजनीतिक सफलता बताएंगे। लेकिन यदि प्रदर्शन पिछले चुनाव जैसा रहा तो बिहार की वैकल्पिक राजनीति का उनका दावा गंभीर सवालों के घेरे में आ जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, इतना तय है कि यह चुनाव केवल एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा के लिए यह अपने अभेद्य किले की रक्षा की परीक्षा है। राजद के लिए यह विपक्षी नेतृत्व बचाने की चुनौती है। और प्रशांत किशोर के लिए यह रणनीतिकार से जननेता बनने की सबसे कठिन अग्निपरीक्षा है। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव केवल आंकड़ों से नहीं, माहौल से भी जीते जाते हैं। लेकिन बांकीपुर में इस बार आंकड़े भाजपा के साथ हैं, संगठन भाजपा के साथ है, जबकि माहौल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने खुद अपने कंधों पर उठा ली है। अब 30 जुलाई का मतदान ही बताएगा कि बांकीपुर की जनता अनुभव, संगठन और परंपरा के साथ जाती है या फिर बदलाव के नए प्रयोग पर भरोसा करती है। ■

धान के बजाय मोटे अनाज उगाने पर दिया जाएगा जोर

मानसून में सामान्य से कम वर्षा के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को विशेष फसल प्रबंधन की सलाह दी है। वर्षा आधारित खेती करने वाले किसानों को धान के स्थान पर श्री अन्न (मोटा अनाज) की खेती की सलाह दी है।

डीडीसी न्यूज एजेंसी

प्रदेश में सूखे की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग अलर्ट हो गया है। जुलाई माह में सामान्य से बेहद कम बारिश होने की संभावना को देखते हुए खरीफ सीजन में धान के बजाय मोटे अनाज की बुवाई पर जोर दिया जा रहा है। बीज बिक्री केंद्रों पर मोटे अनाज के बीज की निरंतर उपलब्धता रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पूर्वानुमान है कि 85 फीसदी ही बारिश होगी, जिसमें करीब 30 जिलों में सूखे के हालात बन सकते हैं। बारिश कम होने से खरीफ सीजन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ कम पानी वाली फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) की बैठक में भी यह बात सामने ई कि आगामी 3-4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने और सक्रिय हो सकता है। 28 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलेगी और शाम तक छिटपुट वर्षा होगी। फिर भी साप्ताहिक वर्षा सामान्य से बहुत कम रह सकती है। इसी तरह दूसरे सप्ताह में भी वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है। एक तरफ बारिश कम तो दूसरी तरफ पूर्वी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के पूर्वी भाग में दो से चार डिग्री तापमान अधिक रहेगा। खरीफ फसलों के निर्धारित लक्ष्य 110.00 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष अब तक केवल 6.63 लाख हेक्टेयर (5.99 प्रतिशत) बुवाई पूरी हो पाई है। मानसून में सामान्य से कम वर्षा के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को विशेष फसल प्रबंधन की सलाह दी है। वर्षा आधारित खेती करने वाले किसानों को धान के स्थान पर श्री अन्न (मोटा अनाज) की खेती की सलाह दी है। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सावां,

मिट्टी की सेहत सुधार के लिए जैविक खाद पर जोर

प्रदेश में रासायनिक खाद की खपत कम करने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। अलग- अलग योजनाओं में गोबर की खाद से जैविक व वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। ग्रामीणों को इसे तैयार करने के वैज्ञानिक तरीके भी सिखाए जाएंगे। किसान खाद तैयार करके उसकी बिक्री करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। प्रदेश में अंधाधुंध रासायनिक खाद के प्रयोग से ऊपजाऊ मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। पिछले वर्ष प्रदेशभर में चले मिट्टी जांच अभियान के दौरान यह बात सामने आई कि करीब 25 जिलों में यूरिया व अन्य रासायनिक खाद जरूरत से ज्यादा प्रयोग की गई, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हुई है। ऐसे में अब गो आधारित प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की ओर से गोबर की खाद से जैविक व वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे तैयार कर सकें। इतना ही नहीं गो आश्रय स्थलों में वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसकी बिक्री भी शुरू कराई गई है। वहां भी इसे ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की योजना बनाई गई है।

गो आधारित प्राकृतिक खेती अभियान

प्रदेश में गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गोबर खाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2.35 लाख किसानों का चयन किया गया है। 1886 समूह बनाए जा रहे हैं। हर समूह में 125 किसानों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की जैविक कार्बन, उर्वरता और जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। सूक्ष्म जीवाणुओं में वृद्धि होगी। अभियान के तहत किसानों को गोबर- गोमूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत व वर्मी कपोस्ट तैयार करना भी सिखाया जाएगा। करीब एक टन गोबर से ढाई से तीन सौ किलो जैविक व वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। प्रदेश के गो

आश्रय स्थलों से भी जैविक खाद तैयार करने की रणनीति बनाई गई है। अभी प्रदेश के गो आश्रय स्थलों में करीब 9.5 लाख गोवंश हैं, जिनसे करीब 3800 टन गोबर निकलता है। इससे इस वर्ष 53.72 लाख क्विंटल खाद तैयार की गई। इस खाद को बेच कर चारा खरीदा गया। अभी प्रदेश में गो आश्रय स्थल में 489 वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार की गई हैं, जिसें 194 को इस वर्ष चालू किया जाएगा। प्रदेश में भविष्य में जैविक खाद उत्पादन करीब 50 फीसदी बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। मिट्टी की उर्वरता बढाना, जैविक कार्बन में वृद्धि, जल धारण क्षमता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि।

प्रदेश में रासायनिक खाद की स्थिति

खरीफ-2026 में यूरिया 13.42 लाख मीट्रिक, डीएपी 5.17 लाख मीट्रिक टन, एमओपी 28.13 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है। इसी तरह सहकारिता में 5.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 2.84 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।

कोदों के साथ-साथ उर्द, मूंग और तिल जैसी फसलों को प्राथमिकता देने को कहा गया है, क्योंकि ये फसलें मौसम के कुप्रभाव से बचाने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त अरहर, तिल, मक्का एवं अन्य मोटे अनाज की बुवाई कुंड एवं नाली विधि से करने की सलाह दी है। अरहर की बुवाई रिज बनाकर मेड़ों पर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वर्षा जल का सदुपयोग हो सके।

खेती में तकनीकी विकास

प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती में निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। इसमें बिजनौर से लेकर बलिया तक के जिले शामिल हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत कलस्टर बनाए गए हैं। हर कलस्टर को गौशाला से जोड़ा जा रहा है। ताकि किसानों को जैविक खाद मिल सके। कई गांवों में बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। यहां किसानों को जीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र जैसे प्राकृतिक कीटनाशक और खाद तैयार करने का प्रशिक्षण और सामग्री मिलती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए तकनीक को लगातार बढावा दिा जा रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के जरिए गन्ने और बागवानी (आम, आंवला) जैसी फसलों में 40-50% पानी बचाया जा रहा है। प्रिसिजन फार्मिंग और ड्रोन तकनीक के जरिए कीटनाशकों और नैनो यूरिया के छिड़काव किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य जोखिम कम होता है। इसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड एवं सेंसर के जरिए मिट्टी में नमी और पोषक तत्वों की जांच कराई जा रही है। पॉलीहाउस और नेट-हाउस के जरिए बेमौसम सब्जियों और फूलों की खेती के लिए यह तकनीक किसानों को बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करने में सक्षम बनाती है, जिससे आय में 3-4 गुना वृद्धि संभव है। ■

पतियों की हत्या के बढ़ते मामले

यदि समाज समय रहते इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लेता तो इसका परिणाम केवल अपराधों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान विश्वास, परिवार और सामाजिक एकता को होगा। रिश्तों में प्रेम की जगह संदेह, सहयोग की जगह संघर्ष और संवाद की जगह हिंसा ले सकती है।

महेन्द्र तिवारी

भारत में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण, सहयोग और आजीवन साथ निभाने का पवित्र बंधन माना गया है। भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा गया है, जो जीवन की हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। यही कारण है कि विवाह संस्था सदियों से भारतीय समाज की सबसे मजबूत नींव रही है। किंतु बदलते समय में अनेक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पत्नियों पर अपने ही पतियों की हत्या का आरोप लगा। इन घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रिश्तों में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया है कि जीवनसाथी ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा है।

इस विषय पर चर्चा करते समय तथ्यों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पति की हत्या पत्नी द्वारा किए जाने की अलग राष्ट्रीय श्रेणी प्रकाशित नहीं करता। इसलिए पूरे देश के लिए कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। कुछ स्वतंत्र अध्ययनों और पाँच राज्यों के संकलित मामलों के आधार पर वर्ष 2020 से 2024 के बीच लगभग 785 ऐसे मामले सामने आने का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। इन अनुमानों को अंतिम या आधिकारिक आँकड़ा नहीं माना जा सकता, लेकिन इतना अवश्य स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएँ समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं।

इन घटनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव विवाह जैसी पवित्र संस्था पर पड़ता है। विवाह का आधार विश्वास होता है। यदि पति और पत्नी के बीच विश्वास समाप्त हो जाए तो केवल एक परिवार ही नहीं टूटता बल्कि समाज की मूल संरचना भी कमजोर होने लगती है। जब लोग यह सुनते हैं कि किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी या किसी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो उनके मन में विवाह के प्रति भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। युवा पीढ़ी के सामने विवाह का आदर्श स्वरूप धुंधला पड़ने लगता है और यह धारणा बनने लगती है कि वैवाहिक जीवन अब पहले जैसा सुरक्षित और स्थिर नहीं रहा।

अधिकांश मामलों का अध्ययन बताता है कि ऐसे अपराध किसी एक कारण से नहीं होते। कई मामलों में विवाहेतर संबंध, पारिवारिक विवाद, आर्थिक तनाव, संपत्ति का विवाद, लंबे समय से चला आ रहा वैवाहिक तनाव, आपसी अविश्वास और प्रतिशोध जैसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हत्या के मामलों के उद्देश्यों में भी पारिवारिक विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी, प्रेम संबंध और अवैध संबंध महत्वपूर्ण कारणों में शामिल पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार के भीतर पैदा होने वाले विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाएँ तो वे कभी-कभी अत्यंत हिंसक रूप धारण कर सकते हैं।

यह भी समझना आवश्यक है कि हर वैवाहिक विवाद हत्या में परिवर्तित नहीं होता। अधिकांश परिवार कठिन परिस्थितियों के बावजूद बातचीत, समझौते, पारिवारिक सहयोग और कानूनी उपायों के माध्यम से अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। इसलिए कुछ जघन्य घटनाओं के आधार पर पूरे समाज या किसी एक लिंग के प्रति नकारात्मक धारणा बनाना उचित नहीं होगा। अपराधी का मूल्यांकन उसके

अपराध के आधार पर होना चाहिए, उसके लिंग के आधार पर नहीं।

इन घटनाओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जब किसी परिवार में एक अभिभावक की हत्या हो जाती है और दूसरा जेल चला जाता है, तब बच्चे एक साथ माता और पिता दोनों का सहारा खो देते हैं। उनके सामने आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट खड़ा हो जाता है। वे लंबे समय तक भय, अवसाद, असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा का सामना करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि बचपन में इस प्रकार का आघात व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। ऐसे बच्चे पढ़ाई, सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य में गंभीर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

समाज के स्तर पर भी इन घटनाओं के दूरगामी परिणाम दिखाई देते हैं। जब परिवारों के भीतर हिंसा बढ़ती है तो सामाजिक विश्वास कमजोर होता है। पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र भी वैवाहिक संबंधों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। समाज में अविश्वास का वातावरण बनने लगता है। यह स्थिति केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहती बल्कि अगली पीढ़ी तक पहुँचती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि वे हिंसा, धोखे और प्रतिशोध को सामान्य व्यवहार के रूप में देखने लगेंगे तो समाज में संवेदनशीलता और सहिष्णुता का स्तर लगातार घटेगा।

आज का डिजिटल युग भी रिश्तों को नई चुनौतियाँ दे रहा है। सोशल मीडिया ने लोगों को अभूतपूर्व संवाद के अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई नई समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। कभी-कभी आभासी संबंध वास्तविक संबंधों पर भारी पड़ने लगते हैं। पति पत्नी के बीच संवाद कम होता जाता है और गलतफहमियाँ बढ़ती जाती हैं। कई बार छोटी बातों को समय रहते सुलझाया नहीं जाता, जिससे तनाव गहराता जाता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल सोशल मीडिया ही अपराधों का कारण है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि यदि इसका उपयोग संयम और जिम्मेदारी से न किया जाए तो यह पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

भौतिकवादी जीवनशैली भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरी है। आज सफलता और आर्थिक उपलब्धि को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाने लगा है। व्यस्त जीवन के कारण परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है। संवाद की कमी धीरे-धीरे भावनात्मक दूरी में बदल जाती है। जब मन की बातें साझा नहीं होतीं, तब संदेह, क्रोध और असंतोष जन्म लेते हैं। यदि इनका समाधान समय रहते न किया जाए तो वे गंभीर विवाद का रूप ले सकते हैं।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में घरेलू हिंसा और वैवाहिक अपराधों के शिकार पुरुष और महिलाएँ दोनों होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु और क्रूरता के मामले भी बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं। इसलिए समाधान किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने में नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज में स्वस्थ संबंधों की संस्कृति विकसित करने में है।

यदि किसी पति पत्नी के बीच संबंध इतने खराब हो जाएँ कि साथ रहना असंभव हो जाए, तो कानून ने उनके लिए अलग होने का सम्मानजनक और शांतिपूर्ण मार्ग उपलब्ध कराया है। आपसी सहमति से अलग होना, न्यायालय की सहायता लेना, पारिवारिक परामर्श लेना और कानूनी प्रक्रिया अपनाना किसी भी प्रकार की हिंसा से कहीं बेहतर विकल्प हैं। किसी भी परिस्थिति में हत्या न तो समस्या का समाधान है और न ही किसी प्रकार से उचित ठहराई जा सकती है।

समाज को इस दिशा में कई स्तरों पर कार्य करना होगा। सबसे पहले परिवारों में संवाद की संस्कृति विकसित करनी होगी। पति पत्नी को एक दूसरे की बात धैर्यपूर्वक सुनने और समझने की आदत विकसित करनी चाहिए। विवाह पूर्व और विवाहोपरांत परामर्श सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि दंपति संबंधों की वास्तविक चुनौतियों को समझ सकें। परिवार के बुजुर्गों को भी केवल निर्णय सुनाने के बजाय मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था में भी नैतिक मूल्यों और भावनात्मक शिक्षा को अधिक महत्व देना होगा। बच्चों और युवाओं को केवल परीक्षा और रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि संवाद कौशल, क्रोध नियंत्रण, सहानुभूति, पारस्परिक सम्मान और संघर्ष समाधान जैसे जीवन कौशल भी सिखाए जाने चाहिए। यदि अगली पीढ़ी भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व होगी तो भविष्य में ऐसे अपराधों की संभावना भी कम होगी।

कानूनी व्यवस्था को भी प्रभावी बनाना आवश्यक है। हत्या जैसे मामलों की निष्पक्ष और शीघ्र जाँच होनी चाहिए। दोषियों को समय पर न्यायालय से दंड मिले ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। साथ ही निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार के झूठे आरोप से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। न्याय तभी सार्थक है जब वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो।

मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपराधों को सनसनी बनाकर प्रस्तुत करने के बजाय उनके सामाजिक और मानवीय परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि समाचारों में केवल रोमांच और सनसनी दिखाई जाएगी तो समाज समस्या की गंभीरता को सही रूप में नहीं समझ पाएगा। मीडिया को समाधान, जागरूकता और पारिवारिक मूल्यों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि पति की हत्या पत्नी द्वारा किए जाने के मामले हों या पत्नी की हत्या पति द्वारा, दोनों ही समाज के लिए समान रूप से गंभीर और दुखद हैं। उपलब्ध अध्ययनों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगभग 785 मामलों का उल्लेख पाँच राज्यों के संदर्भ में मिलता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय का अलग आधिकारिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रत्येक ऐसी घटना इस बात का संकेत है कि कुछ परिवारों में संवाद, विश्वास और संवेदनशीलता का संकट गहराता जा रहा है।

यदि समाज समय रहते इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लेता तो इसका परिणाम केवल अपराधों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान विश्वास, परिवार और सामाजिक एकता को होगा। रिश्तों में प्रेम की जगह संदेह, सहयोग की जगह संघर्ष और संवाद की जगह हिंसा ले सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों को मजबूत बनाया जाए, नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया जाए, कानूनी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए और हर व्यक्ति को यह समझाया जाए कि किसी भी मतभेद का समाधान हिंसा नहीं बल्कि संवाद, धैर्य और कानून के दायरे में ही संभव है। यही वह मार्ग है जो समाज को भय और अविश्वास से निकालकर विश्वास, सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं की ओर ले जा सकता है। ■

कानून का चकमा देने का अनैतिक खेल है दल बदल

शिवसेना यूबीटी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दोफाड़ हो गई थी।

योगेंद्र योगी

अरस्तू का मानना था कि राजनीति और नैतिकता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ या भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाती है, तो समाज का नैतिक पतन होता है, जो लोकतंत्र के मूल उद्देश्य—"सामान्य कल्याण" को कमजोर कर देता है। देश में विपक्षी दलों के सांसदों में मची भगदड़ से अरस्तू का यह कथन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। सांसदों का एक दल से दूसरे दल में जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है; यह उस गहरी प्रवृत्ति का

संकेत है जिसे संस्थागत अवसरवाद कहा जा सकता है। आज दल-बदल अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक सामान्यीकृत राजनीतिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहाँ जनादेश, विचारधारा और नैतिकता—तीनों क्रमशः हाशिए पर खिसकते प्रतीत होते हैं। राजनीति

शिवसेना यूबीटी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दोफाड़ हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को भी मूल शिवसेना का दर्जा मिल गया। तब उद्धव ठाकरे ने अपने गुट का नाम शिवसेना यूबीटी रख लिया।

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने भी पार्टी तोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। एनसीपीआई एनडीए की एक बेहद छोटी पार्टी है। शिवसेना यूबीटी में टूट का सीधा फायदा केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को मिलने वाला है। इससे एनडीए का संख्या बल और बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के जुगाड़ में लगी है ताकि आने वाले दिनों में वह कुछ अहम संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवा सके। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद लोकसभा में एनडीए का कुनबा 320 के करीब पहुंच गया है।

सांसदों और विधायकों की ऐसी ही टूटफूट से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने ममता से विद्रोह कर दिया था। ममता बनर्जी इस झटके से उबर भी नहीं पाई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बागी होने की घोषणा कर दी। टीएमसी के पास लोकसभा की 28 सीटें होने के कारण, बागी गुट को दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जिसकी न लोकसभा और न ही विधनसाभा, कहीं पर भी एक सीट तक नहीं है, उस पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने विलय कर लिया है। इस कदम को दल-बदल विरोधी कानून से बचने के लिए अहम माना जा रहा

है।

विगत महीनों में गैरभाजपा दलों में विधायकों—सांसदों के विद्रोह की शुरुआत अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से हुई थी। आम आदमी पार्टी के सात राज्य सभा सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस फैसले के बाद उच्च सदन में आप की ताकत घटकर सिर्फ तीन सांसदों तक रह गई है। राज्यसभा में की ताकत बढ़कर 113 पहुंची वहीं, इस बदलाव से भाजपा को सीधा फायदा हुआ है और उसकी संख्या राज्यसभा में बढ़कर 113 पहुंच गई है। इसके साथ ही एनडीए का आंकड़ा 148 पहुंच गया। वहीं, जिन सात सांसदों का भाजपा में विलय हुआ है, उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या विधायकों का एक गुट खुद विलय की घोषणा कर सकता है, या जिस राजनीतिक दल का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे सहमत होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अभी फैसला लेना है। भारत का दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से पेश किया गया था। यह 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के जरिए लागू हुआ। यह 'आया राम, गया राम' की राजनीति की घटना की प्रतिक्रिया थी, जिसमें सरकारें गिराने या खुद की उन्नति हासिल करने के लिए विधायक/सांसद मध्यावधि में दल बदल लेते हैं। बता दें कि दसवीं अनुसूची के तहत, कोई भी विधायक जो स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के विधायकों के मामले में अपना निर्णय समाज विज्ञान के सम्मानित प्रोफेसर आंद्रे बेताई के इन शब्दों से शुरू किया था। कोर्ट ने लिखा, 'हमारे संविधान निर्माताओं ने लोगों को सांविधानिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन प्रश्न है कि हम अपने इस कर्तव्य को निभाने में कितने सफल हुए? लोकतंत्र और सांविधानिक जिम्मेदारियों को कितना निभा सके?' कोर्ट ने कहा, मतभेद और दलबदल ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इन्हें अलग साबित करके ही लोकतांत्रिक मूल्यों को अन्य लोकतांत्रिक विचारों के साथ संतुलित रखा जा सकता है। भारतखबर कोर्ट ने कहा था कि 'संसदीय लोकतंत्र में सांविधानिक नैतिकता बरकरार रखने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों पर बराबर होती है। भारत में राजनीतिक दल सत्ता में रहने पर अलग और सत्ता से बाहर होने पर अलग ढंग से इस जिम्मेदारी को देखते हैं। यही वजह है कि भारत में जनमानस मानने लगा है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अनैतिक हो चुकी है। कोर्ट ने कहा, मतभेद और दलबदल ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इन्हें अलग साबित करके ही लोकतांत्रिक मूल्यों को अन्य लोकतांत्रिक विचारों के साथ संतुलित रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 'केवल संविधान की रक्षा और उसकी अक्षुण्णता की शपथ लेना काफी नहीं है। बल्कि सांविधानिक मूल्यों को रोजमर्रा के कामों में शामिल करने की अपेक्षा हमारे महान संविधान ने की है।

आज दल-बदल अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक सामान्यीकृत राजनीतिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहाँ जनादेश, विचारधारा और नैतिकता—तीनों क्रमशः हाशिए पर खिसकते प्रतीत होते हैं।

यह स्थिति हमें यह पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है कि क्या राजनीति अब भी सिद्धांतों और मूल्यों से संचालित है?, या वह केवल सत्ता-समीकरणों का खेल बनकर रह गई है। इस संदर्भ में यह स्वीकार करना होगा कि कानून केवल आंशिक समाधान प्रदान कर सकता है; वास्तविक समाधान राजनीतिक संस्कृति और नैतिकता में निहित है।

पार्टी विद डिफरेंस का जुमला गढ़ने वाली भाजपा भी लोकतंत्र को कमजोर करने वाले दल बदल के खेल में शामिल हो गई। दल बदलने वाले पहले भाजपा को और भाजपा इनको देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, मुसलमान समर्थक या मुसलमान विरोधी और न जाने किस किस ढंग से कोसते रहें हैं। दल बदलने के बाद अचानक से दल बदलने वाले और इन्हें लेने वाले पवित्र गाय बन गए। दल बदल कराए बगैर जनाधार बढ़ाना काफी तकलीफदेह होता है। मतलब खुद के बलबूते पर पूर्ण सत्ता प्राप्त करने में बड़ा जोर आता है। इसके लिए जनता से वादे करने पड़ते हैं, उन्हें निभाने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत होती है। ऐसे में यदि दूसरे का पकाया हुआ खाने को मिल जाए तो कौन पीछे रहना चाहेगा। सिद्धान्तों और नैतिकता, ये सब अब किताबी बातें रह गई हैं। ■

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का 'इथेनॉल पथ':

उम्मीदों की उड़ान और व्यावहारिक अवरोध

भारत का इथेनॉल कार्यक्रम ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम है। समय से पहले E20 के लक्ष्य को पाना सरकार के नीतिगत प्रबंधन की जीत है।

अशोक भाटिया

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जुझारूपन ने फरवरी से दुनिया को ऊर्जा संकट में डाल दिया है, और मोदी सरकार की कारों में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने की आवश्यकता का कुछ लोगों द्वारा उपहास किया गया है क्योंकि 'दूध में पानी की मात्रा बढ़ाने से दूध की मांग कम हो जाएगी'। लेकिन सरकार की इस सोच में कुछ भी गलत नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करने के प्रयोग पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए यह सही है कि भारत में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जो तेल आयात पर निर्भर है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं के एक अभूतपूर्व चौराहे पर खड़ा है ऐसे समय देश ने हाल ही में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर दुनिया के सामने नीतिगत इच्छाशक्ति का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। वर्ष 2013-14 में जहां इथेनॉल मिश्रण की दर महज 1.5 प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई थी, वहीं 2025-26 के कालखंड में इसका देशव्यापी स्तर पर 20 प्रतिशत तक पहुंच जाना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की एक युगांतकारी घटना है। इस नीतिगत उछाल का प्राथमिक श्रेय केंद्र की मोदी सरकार के 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम' को जाता है, जिसने भारत को जीवाश्म ईंधनों की विदेशी निर्भरता से मुक्त कराने और 'पंचामृत' के तहत वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लिया है।

परंतु, इस बड़ी नीतिगत सफलता के साथ ही धरातल पर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल और व्यावहारिक चुनौतियां भी सिर उठाने लगी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इस दीर्घकालिक अभियान को कमजोर कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्तर पर E20 ईंधन के अनिवार्य प्रसार के बाद से आम उपभोक्ताओं, मोटर वाहन उद्योग और कृषि-अर्थशास्त्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत का अचूक हथियार मानती है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के इंजनों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में यह नीतिगत समीक्षा का सही समय है कि क्या भारत अपनी हरित ऊर्जा की रफ्तार को बनाए रखते हुए आम जनता की चिंताओं को वैज्ञानिक और आर्थिक धरातल पर संतुष्ट कर पा रहा है?

इस नीति की आवश्यकता को समझने के लिए सबसे पहले भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता के आंकड़ों को देखना होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 88.5 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वैश्विक राजनीति में होने वाले उतार-चढ़ाव, खाड़ी देशों के तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भारत के घरेलू बाजार और बजटीय संतुलन को सीधे प्रभावित करती है। सरकार की इस इथेनॉल नीति ने देश की मैक्रो-इकोनॉमी को एक बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। 2014-15 से लेकर मई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश ने 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की है और करोड़ों मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को घरेलू जैव-ईंधन से प्रतिस्थापित किया है।

इस आर्थिक चक्र का दूसरा सबसे खूबसूरत पहलू इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है। जैव-ईंधन का उत्पादन केवल फैक्टरियों की चहारदीवारी में नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के खेतों से शुरू होता है। गन्ने के उप-उत्पाद (शीरा), मक्का, और टूटे हुए चावल (सरप्लस अनाज) से इथेनॉल बनाने की अनुमति देकर सरकार ने किसानों को केवल 'अन्नदाता' से 'ऊर्जादाता' के रूप में परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया है। इस खरीद प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और घरेलू डिस्टिलरीज को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और चीनी मिलों के गन्ना बकाया संकट पर काफी हद तक लगाम लगी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो E20 मिश्रण ने देश के वायुमंडल को लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचाया है, जो महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी राहत है।

जनता के इसी जमीनी विरोध और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की अपूर्ण तैयारी को देखते हुए

मोदी सरकार ने हाल ही में बेहद परिपक्वता और वैज्ञानिक संयम का परिचय दिया है। पहले बाजार में ऐसी अटकलें जोरों पर थीं कि सरकार E20 की तत्काल सफलता के बाद तेजी से 25 प्रतिशत सम्मिश्रण (E 2 5) की ओर बढ़ेगी। परंतु, उपभोक्ताओं के फीडबैक और वाहनों की तकनीकी सीमाओं को स्वीकार करते हुए पेट्रोलियम और परिवहन मंत्रालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि E25 को लागू करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सरकार ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि वर्तमान में E20 ईंधन पूरी तरह से सुरक्षित है और उच्च मिश्रणों की तरफ कदम केवल व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों, ऑटोमोबाइल उद्योग की तैयारियों और उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही बढ़ाया जाएगा।

सरकार की इस 'ग्रेडेड अप्रोच' की सराहना की जानी चाहिए। किसी भी देशव्यापी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश के अंतिम नागरिक के हितों के साथ कितनी सहजता से मेल खाती है। यदि सरकार बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के जबरन उच्च मिश्रण थोपती, तो इससे न केवल वाहन बाजार में व्यवधान उत्पन्न होता, बल्कि हरित ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रति जनता में एक स्थायी आक्रोश और अविश्वास पैदा हो सकता था।

इस लेख में एक और गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, जो नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वह है—'अन्न बनाम ईंधन' का द्वंद्व। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जब हम इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के जूस, मक्का और विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मिलने वाले चावल का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं, तो इसका सीधा असर देश के खाद्य बाजार पर पड़ता है।

विगत वर्षों में चीनी के घरेलू दामों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार को कई बार इथेनॉल उत्पादन पर अस्थायी प्रतिबंध या सीमाएं लगानी पड़ी थीं, हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य होने पर इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। यदि किसान अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा क्षेत्र की व्यावसायिक डिस्टिलरीज को बेचने लगेंगे, तो देश में पशुओं के चारे (जैसे मक्के से बनने वाले फीड) और आम जनता के उपभोग वाले खाद्यान्न की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए, नीति की निरंतरता के लिए कृषि भूमि के उपयोग और फसलों के चक्र का सटीक वैज्ञानिक मानचित्रण अनिवार्य है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत के उज्ज्वल और स्वच्छ भविष्य के लिए एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता है, लेकिन इसकी सफलता का रास्ता आम जनता की जेब और भरोसे से होकर ही गुजरता है। इस नीति को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन रणनीतिक कदमों पर विचार किया जाना चाहिए:

उपभोक्ताओं को कम माइलेज के दर्द से राहत देने का सबसे तार्किक तरीका 'मूल्य प्रोत्साहन' है। सरकार को E20 या भविष्य के उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधनों की कीमत शुद्ध पेट्रोल या legacy फ्यूल की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत कम रखनी चाहिए। जब उपभोक्ता को ईंधन की कीमत में सीधी छूट मिलेगी, तो माइलेज की मामूली कमी की भरपाई आर्थिक रूप से हो जाएगी, और वे स्वेच्छा से पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का चयन करेंगे।

जरुरत है सरकार और तेल विपणन कंपनियों को केवल दावों के बजाय प्रयोगशालाओं के प्रामाणिक डेटा को जनता के सामने रखना चाहिए। पुराने वाहनों की देखभाल कैसे करें, इथेनॉल ईंधन के उपयोग के दौरान किन सावधानियों को बरतें, इसके बारे में पेट्रोल पंपों पर ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।तथा खाद्यान्न और गन्ने पर निर्भरता कम करने के लिए पराली, बांस, और कबाड़ से बनने वाले 'सेकंड जनरेशन' (2G) इथेनॉल के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करना होगा।

भारत का इथेनॉल कार्यक्रम ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम है। समय से पहले E20 के लक्ष्य को पाना सरकार के नीतिगत प्रबंधन की जीत है। लेकिन एक जीवंत लोकतंत्र और उपभोक्ता-प्रधान बाजार में किसी भी हरित क्रांति को टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी संवेदनशीलता और जन-आकांक्षाओं का आदर करना अनिवार्य होता है। सरकार ने E25 पर कदम रोककर और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग जगत, नीति निर्माता और उपभोक्ता मिलकर एक ऐसा पारदर्शी तंत्र बनाएं, जहां देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक की आर्थिक सुरक्षा दोनों एक साथ सह-अस्तित्व में समृद्ध हो सकें। ■

खेती पर बढ़ रहा मौसम का ख़तरा
अब नए तरीके अपनाने का समय

- एन.एच. डेस्क

भारत में जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर लगातार बढ़ रहा है। अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान, सूखा और एल नीनो जैसी परिस्थितियाँ कृषि के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। फ़र्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफ़एआईएफ़ए) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में देश के अधिकांश दिनों में चरम मौसम की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिससे करोड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई। ऐसे हालात में फसल विविधीकरण, मिट्टी और जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक तथा सरकारी योजनाओं के बेहतर उपयोग के ज़रिए खेती को जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक मज़बूत और टिकाऊ बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

भारत में खेती अब जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान, बार-बार पड़ने वाला सूखा और एल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियाँ खेती को पहले से अधिक जोखिम भरा बना रही हैं। इसके साथ ही लगातार एक जैसी खेती, मिट्टी की घटती उर्वरता और पानी पर बढ़ता दबाव भी कृषि क्षेत्र के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में खेती को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है।

देश की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में बदलते मौसम का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसी वजह से खेती में ऐसे बदलावों पर ज़ोर दिया जा रहा है, जो मौसम की अनिश्चितताओं के बावजूद उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में मदद करें।

फ़र्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफ़एआईएफ़ए) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच देश में 334 दिनों में से 331 दिनों तक किसी न किसी हिस्से में चरम मौसम की घटनाएँ दर्ज की गईं। इसका असर 1.7 करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर पड़ा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जाँच किए गए अधिकांश मिट्टी के नमूनों में आवश्यक पोषक तत्वों और जैविक कार्बन की कमी पाई गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस मानसून के दौरान अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना जताई है। इससे सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है, जो खरीफ़ फसलों के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे हालात में समय रहते योजना बनाना, जोखिम का आकलन करना और मौसम के अनुरूप खेती के तरीक़े अपनाना ज़रूरी माना जा रहा है। खेती को मौसम के अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीस्टैक, भारत-विस्तार, पीएम-कुसुम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी कई सरकारी पहलें भी चल रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों तक मौसम संबंधी जानकारी, आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और फसल सुरक्षा जैसी सुविधाएँ पहुँचाना है।

फ़र्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफ़एआईएफ़ए) के अध्यक्ष पी. एस. मुरली बाबू ने 'बिजनेस लाइन' को बताया कि बदलते मौसम के असर को कम करने के लिए मिट्टी की सेहत सुधारने, पानी का बेहतर उपयोग करने और एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इससे मौसम से जुड़े जोखिम कम करने और उत्पादन को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई), सैटेलाइट निगरानी, रिमोट सेंसिंग, सटीक सिंचाई और मौसम आधारित सलाह जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किसानों को सही समय पर बेहतर फ़ैसले लेने में मदद कर सकता है। इन तकनीकों को स्थानीय कृषि अनुभव और सरकारी कृषि सेवाओं के साथ जोड़कर खेती को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।

रिपोर्ट में गुजरात के खिरसरा क्षेत्र का उदाहरण भी दिया गया है, जहाँ लगभग 4,200 वर्ष पहले सूखे की स्थिति में किसानों ने केवल जौ की खेती पर निर्भर रहने के बजाय बाजरा, ज्वार और धान जैसी फसलों को अपनाया था। फसलों में इस बदलाव से कठिन परिस्थितियों में भी खेती जारी रखी जा सकी। बदलते मौसम के दौर में यही मॉडल आज भी खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने का रास्ता माना जा रहा है। ■

गोवा में आखिर क्यों उमड़ रही पर्यटकों की भारी भीड़ ?

दिव्यांशी भदौरिया

गोवा की 16 लाख की जनसंख्या के मुकाबले सालाना एक करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन राज्य के पर्यटन आधारित आर्थिक ढांचे की सफलता को रेखांकित करता है। नाइटलाइफ़, वाटर स्पोर्ट्स और विशिष्ट खान-पान जैसे कारक इस छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर एक अनिवार्य गंतव्य के रूप में स्थापित करते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार, घरेलू और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती भागीदारी गोवा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती और अवसर दोनों है।

बीच पर घूमने की बात आती है, तो सबसे पहला नाम गोवा का आता है। असल में गोवा भारत के एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है, जहां की पॉपुलेशन से ज्यादा हर साल यहां पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। क्षेत्रफल के मुताबिक, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहां पर सिर्फ 2 जिले हैं, एक उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। भारतीय नौसेना जानकारी

दरअसल, गोवा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार गोवा का कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। वास्तव में गोवा इतना बड़ा नहीं लेकिन हर साल यहां पर पर्यटक इससे ज्यादा आते हैं। वहीं, पिछले सालों की रिपोर्ट के अनुसार, यहां पर हर साल पर्यटकों की आने की संख्या बढ़ी है। चलिए आपको इस लेख में पर्यटकों के आने की संख्या के बारे में बताते हैं।

हर साल कितने लोग आते हैं गोवा में घूमने?

गोवा पर्यटन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, पिछले 5 से 6 सालों में यहां पर पर्यटकों की संख्या भारी इजाफा देखा है। पहले यह संख्या कम थी, लेकिन साल 2019 से यहां पर पर्यटकों की संख्या अधिक हो गई है। आइए आपको इस रिपोर्ट में अंतर बताते हैं-

गौरतलब है कि पिछले साल 2025 में गोवा में घूमने के लिए 1,02,84,608 घरेलू पर्यटक और 5,17,802 विदेशी पर्यटक आए, जिससे कुल पर्यटकों की संख्या 1,08,02,410 रही।

खासतौर पर गोवा में पर्यटकों की घूमने की संख्या में कभी कम और कभी ज्यादा देखी गई है। साल 2026 में 68,95,234 घरेलू और 8,90,459 विदेशी पर्यटक आए, जिससे टोटल आकड़ा 77,85,693 रहा।

इससे पहले साल 2018 और 2019 में पर्यटकों की संख्या और बढ़ी और 80,15,400 और 80,64,400 तक पहुंची है।

साल 2025 में पर्यटकों की भीड़ इतनी थी कि संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि गोवा में पॉपुलेशन करीब 16 लाख के करीब है।

क्यों यहां घूमने आते हैं पर्यटक ?

गोवा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां की नाइट लाइफ। यहां पर आने वाले पर्यटकों को एकदम खुला वातावरण मिलता है। रात भर चलने वाली पार्टी और पूरी रात बीच के किनारे बैठकर आराम करना। दरअसल, बागा, कलंगुट, पालोलेम, अंजुना और कैंडोलिम बीचों पर कुछ ज्यादा शानदार माने जाते है। यहां की नाइट लाइफ और बीच पार्टियां हर किसी को आकर्षित करती है।

- यहां पर तरह-तरह की वॉटर एक्टिविटी करने का श्रेष्ठ मौका मिलता है।
- गोवा का सबसे फेमस है यहां का टेस्टी सी-फूड, फिश करी और प्रॉन डिशेज, जिसको आप खूब खा सकते हो।
- मॉनसून के समय यहां पर सुंदर नजारा देखने को मिलता है। हर तरफ हरियाली और झरने का नजारा और भी सुंदर हो जाता है। ■

यश-कियारा की 'तबाही' में खामोश मोहब्बत का असर

रॉकिंग स्टार यश और अभिनेत्री कियारा आडवाणी अभिनीत फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का पहला गीत 'तबाही' रिलीज़ हो गया है। यह गीत अपने भावपूर्ण संगीत और दोनों कलाकारों की सशक्त केमिस्ट्री के कारण दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। विशाल मिश्रा की आवाज़ और संगीत से सजे 'तबाही' में प्रेम को शब्दों से अधिक खामोशी और भावनाओं के जरिए व्यक्त किया गया है। पूरे म्यूजिक वीडियो में यश और कियारा के किरदारों के बीच अनकहा आकर्षण, तड़प और भावनात्मक संघर्ष देखने को मिलता है।

गीत का एक अहम दृश्य तब सामने आता है, जब तारा सुतारिया का किरदार रेबेका, राया (यश) से पूछती है, "क्या तुम खुद के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते?" इस पर राया जवाब देता है, "बिलकुल नहीं।" हालांकि अगले ही पल कियारा की ओर उसकी नज़रें उसके भीतर छिपे भावनात्मक द्वंद्व और अनकहे प्रेम को उजागर कर देती हैं।

निर्देशक गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश और कियारा आडवाणी के अलावा नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का निर्माण वेंकट के. नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस तथा मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले किया है। यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। ■

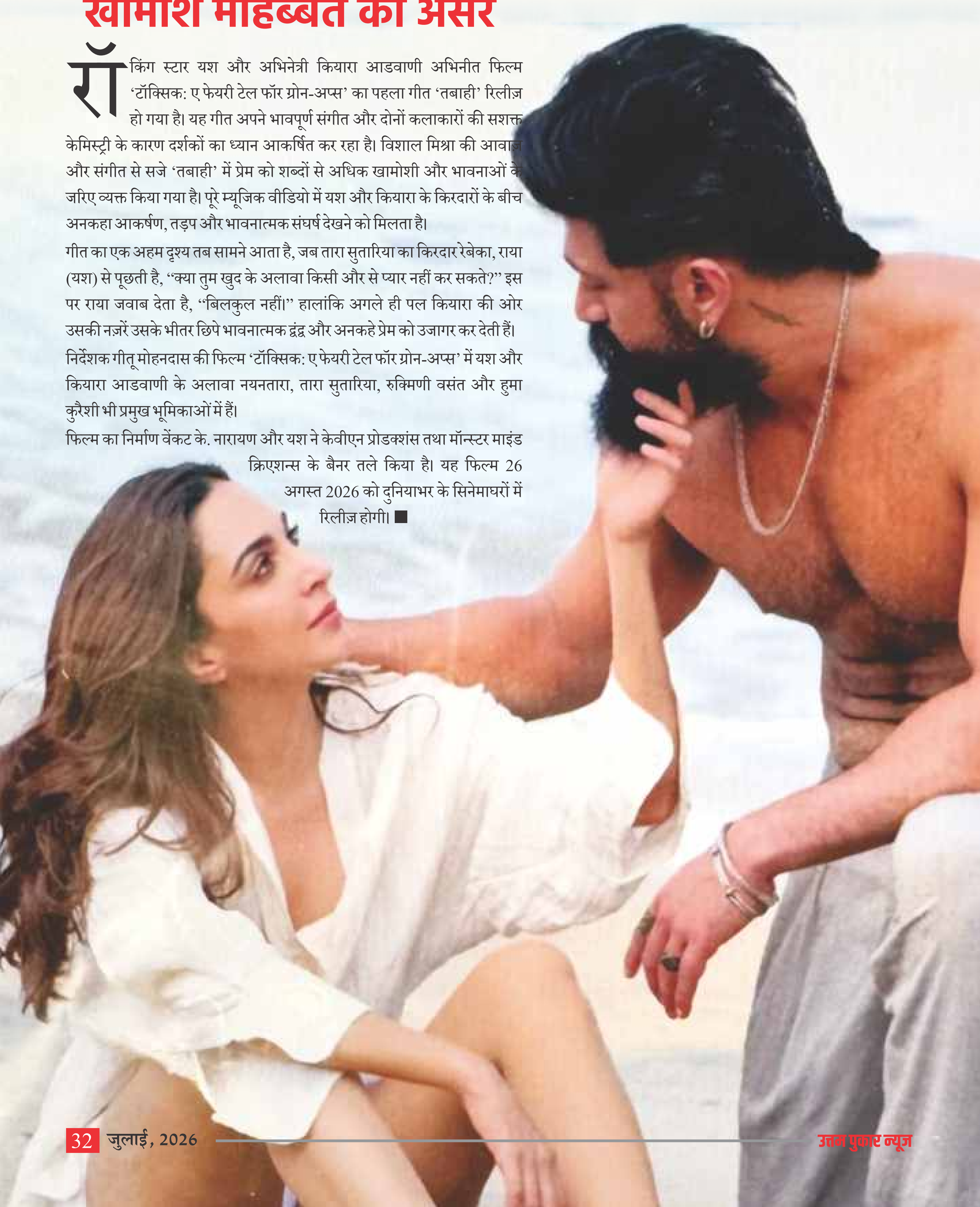

TULIP
EYEWEAR
महाबचत ऑफ़र !
SUPER
OFFER
स्टाइल भी, बचत भी
UPTO 50% OFF
ट्रेंडी फ्रेम्स
बच्चों, युवाओं और
सभी के लिए
शानदार कलेक्शन
क्वालिटी के साथ
बेहतरीन बचत
आज ही विजिट करें हमारी नजदीकी ब्रांच
OUR BRANCHES
KAISERBAGH
GOMTI NAGAR
BHOOTHNATH MARKET
VRINDAVAN COLONY
ALIGANJ
Call Now:
+91 83170 70299
+91 93350 88801
"नजर भी स्टाइलिश,
कीमत भी शानदार"
100% ऑरिजिनल
क्वालिटी प्रोडक्ट
एक्सपर्ट आई
टेस्टिंग
आकर्षक ऑफर
और गारंटी
बेस्ट सर्विस,
हमेशा आपके लिए

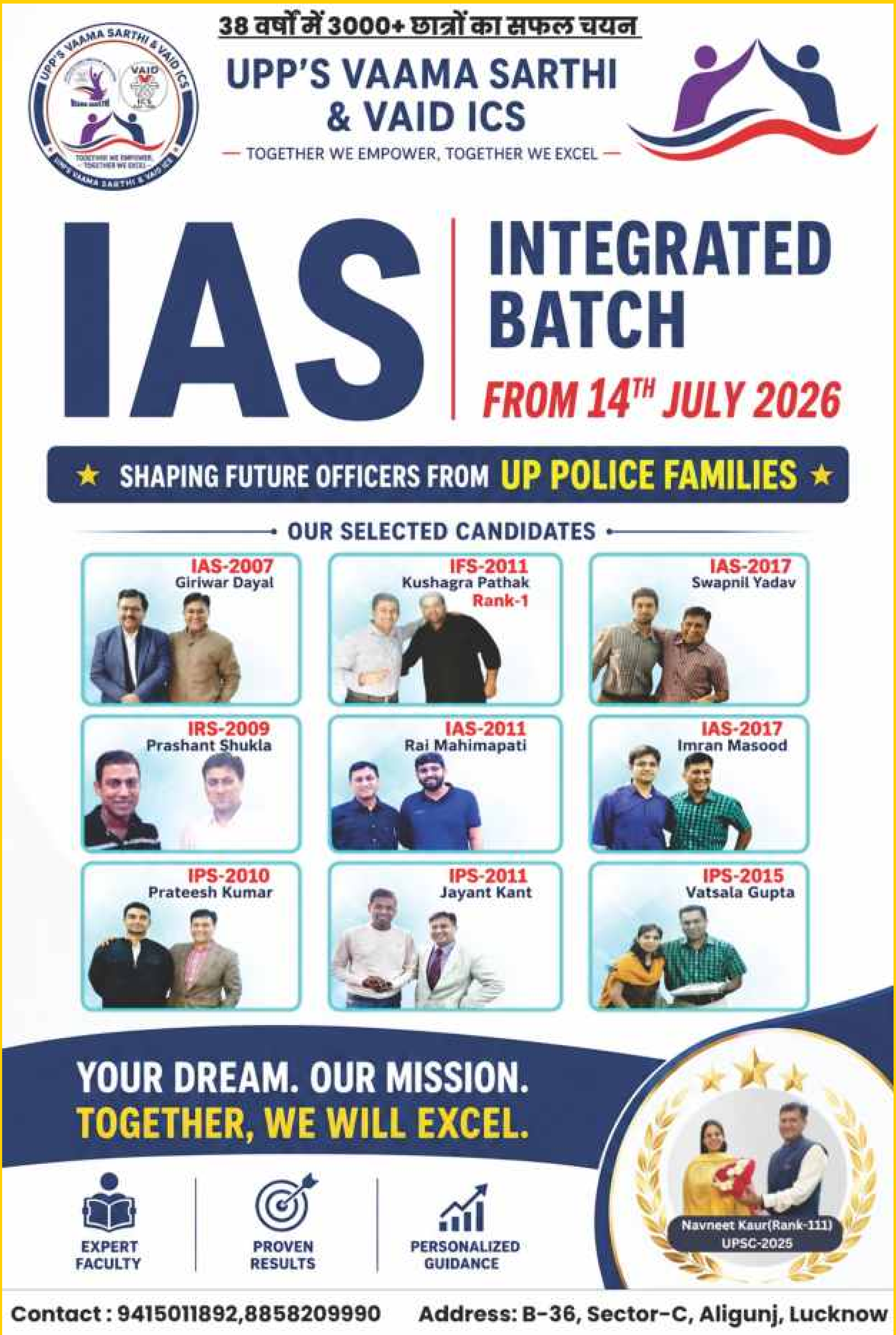
38 वर्षों में 3000+ छात्रों का सफल चयन
UPP'S VAAMA SARTHI
& VAID ICS
— TOGETHER WE EMPOWER, TOGETHER WE EXCEL —
IAS
INTEGRATED
BATCH
FROM 14TH JULY 2026
★ SHAPING FUTURE OFFICERS FROM UP POLICE FAMILIES ★
OUR SELECTED CANDIDATES
IAS-2007
Giriwar Dayal
IFS-2011
Kushagra Pathak
Rank-1
IAS-2017
Swapnil Yadav
IRS-2009
Prashant Shukla
IAS-2011
Rai Mahimapati
IAS-2017
Imran Masood
IPS-2010
Prateesh Kumar
IPS-2011
Jayant Kant
IPS-2015
Vatsala Gupta
YOUR DREAM. OUR MISSION.
TOGETHER, WE WILL EXCEL.
EXPERT FACULTY
PROVEN RESULTS
PERSONALIZED GUIDANCE
Navneet Kaur(Rank-111)
UPSC-2025
Contact : 9415011892,8858209990
Address: B-36, Sector-C, Aligunj, Lucknow